रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/99

REGISTERED NO. DL-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 1999 (फाल्गुन 22, 1920)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 1999 (PHALGUNA 22, 1920)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	285
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	189
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	6
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	301
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) ।	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	233
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	273
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ।	843
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	401
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	[illegible]

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	285
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	189
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	301
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative tests in Hindi Languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 2—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	233
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	273
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	843
PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies	401
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसंगत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1999

सं. 8-प्रेज/99—राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री जी. एम. गोगोई,
उप-निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन भारलुमुख,
गुवाहाटी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

20-12-1996 को लगभग 2.00 बजे अपराह्न सूचना मिली कि कुछ उग्रवादी भारी रकम एंठने के लिए श्री मित्तल के घर गए हुए हैं । इस पर उप निरीक्षक गोगोई के नेतृत्व में एक पुलिस दल को कार्रवाई करने के लिए तैनात किया गया । जैसे ही पुलिस पार्टी परिसर के नजदीक पहुंची तो उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चलायीं और हथ गोले फेंके जिसके परिणामस्वरूप श्री गोगोई की छाती में गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । जख्मी होने के बावजूद उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की । अन्य पुलिस कार्मिकों ने भी उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं जिसके कारण एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया । तथापि दूसरा उग्रवादी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मर गया । तलाशी के दौरान 9 सक्रिय कारतूसों के साथ 2 पिस्तौल और दो हथगोले बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री जी. एम. गोगोई, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20-12-1996 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1999

सं. 9-प्रेज/99—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

1. श्री राम बाबू प्रसाद,
उप निरीक्षक,
जिला गया
2. श्री अमित कुमार
उप निरीक्षक,
टिकारी थाना
3. श्री संजय कुमार झा,
उप निरीक्षक,
टिकारी थाना
4. श्री अलोक कुमार सिंह
उप निरीक्षक,
टिकारी थाना
5. श्री कमल नारायण सिंह,
सिपाही,
टिकारी थाना
6. श्री विजय चन्द्र चौधरी,
कांस्टेबल,
जिला सशस्त्र बल
7. श्री विधान चौधरी,
सिपाही,
टिकारी थाना
8. श्री निर्मल कुमार सिंह,
सिपाही,
टिकारी थाना
9. श्री संजय कुमार सिंह,
सिपाही,
टिकारी थाना
10. श्री कासीमुल्लाह खान,
सिपाही,
टिकारी थाना

11. श्री मसीउर रहमान,
सिपाही,
टिकारी थाना

12. श्री प्रेम शंकर प्रसाद,
सिपाही,
टिकारी थाना

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

4-7-1996 की रात को उप निरीक्षक राम बाबू प्रसाद को सूचना मिली कि एम. सी. सी. एरिया कमान्डर लाल मोहन यादव उर्फ नटवर ने अलीपुर पुलिस पिकेट के क्षेत्र में पड़ाव डाल रखा है और पुलिस पर हमला करने की योजना बना रहा है । उप निरीक्षक प्रसाद, उप निरीक्षक अमित कुमार, कमल नारायण सिंह, हरि भूषण प्रसाद और कालीमुल्लाह खान कांस्टेबल के साथ छिपने के स्थान की तरफ भागे । अलिपुर पिकेट पर उपलब्ध पुलिस बल (विधान चौधरी और प्रेम शंकर प्रसाद कांस्टेबल सहित) भी वहां पहुंच गया । उन्होंने मानिकपुर, आलमपुर बरिशमा भदिया गांवों में तत्काल तलाशी शुरू कर दी । 5-7-1996 को लगभग 5.30 बजे पूर्वाह्न, जब वे अलिपुर पुलिस पिकेट से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि लगभग 50 सशस्त्र उग्रवादी गांव केसपा सरफराज होता टोला टेकुआ टांड की तरफ जा रहे हैं । पुलिस दिखायी देने पर उग्रवादियों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी । उप निरीक्षक राम बाबू प्रसाद और उप निरीक्षक अमित कुमार ने अपने कार्मिकों के साथ उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं । उसके बाद उग्रवादी दो दलों में बंट गए—एक दल जिसमें 10-12 उग्रवादी थे, टेकुआ टांड की तरफ भागे और शेष उग्रवादियों ने, कवर फायर देते हुए दक्षिण की तरफ वापस जाना शुरू किया, ताकि दूसरे ग्रुप को बचाया जा सके, जो गांव टेकुआ टांड की तरफ बच निकला था । उप निरीक्षक प्रसाद ने उप निरीक्षक अमित कुमार को टेकुआ टांड को उत्तर-पूर्वी दिशा से घेरने का आदेश दिया । श्री प्रसाद ने अपने दल के साथ शेष उग्रवादियों को उलझाए रखा । परिणामस्वरूप दो उग्रवादी मारे गए । इससे उग्रवादियों का मनोबल टूट गया और उन्होंने दक्षिणी दिशा में भागना शुरू कर दिया । उसके बाद श्री प्रसाद ने सात कार्मिकों को, भाग रहे उग्रवादियों का पीछा करने का निदेश दिया । उन्होंने स्वयं, अन्य कार्मिकों के साथ, दक्षिण पश्चिम दिशा से टोला टेकुआ टांड को घेर लिया । इस बीच, एरिया कमान्डर नटवर ने अपने आदमियों के साथ, उप निरीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व वाली छोटी सी पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी करके उत्तर-पूर्वी दिशा से पुलिस घेरे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन उन्होंने गोलीबारी का जवाब देते हुए उग्रवादियों को बचकर भागने नहीं दिया । दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में दो उग्रवादी मारे गए । जबकि उनमें से लगभग 10 उग्रवादियों को छोटा टोला में पुलिस द्वारा घेर लिया गया, उन्होंने भारी गोलीबारी करके पुलिस घेरे को तोड़ने की भरसक कोशिश की । इसी बीच, घटनास्थल पर (उप निरीक्षक अलोक कुमार सिंह, मसीउर रहमान, संजय कुमार सिंह और विजय चन्द्र चौधरी, कांस्टेबल सहित) कुमुक पहुंच गई । गांव पर धावा बोलने के लिए, दो दल बनाए गए पहले दल का नेतृत्व उप निरीक्षक, आर. बी. प्रसाद और उप निरीक्षक अमित कुमार ने किया उनके दल में कमल नारायण सिंह, कालीमुल्लाह खान और संजय कुमार सिंह कांस्टेबल थे और दूसरे दल का नेतृत्व उप निरीक्षक अलोक कुमार सिंह और उप निरीक्षक संजय कुमार झा ने किया । इस दल में प्रेम शंकर प्रसाद, मसीउर रहमान, विधान चौधरी और वी. सी. चौधरी कांस्टेबल थे । उसके बाद दोनों दल गांव के भीतर लगभग 100 गज तक गए । उग्रवादियों ने दो अलग-अलग मकानों से पुलिस दलों पर गोलियां बरसाईं । दोनों दलों ने, दो मकानों के चारों तरफ मोर्चा सम्भाल लिया और उग्रवादियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । उप निरीक्षक प्रसाद और उप निरीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व वाले दल ने अन्य कार्मिकों के साथ मकान पर धावा बोल दिया और गोलियां चलाते रहे जिसके परिणामस्वरूप दो उग्रवादी मारे गए । उप निरीक्षक अलोक कुमार सिंह और उप निरीक्षक संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले दूसरे दल ने उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं । उग्रवादियों की ओर से उन्हें भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा । किसी भी खतरे की परवाह न करते हुए उप निरीक्षक अलोक कुमार सिंह और उप निरीक्षक संजय झा अपने कार्मिकों के साथ अंधेरे घर में गोलीबारी करते हुए एक गाय दरवाजे से मकान के अन्दर घुस गए । इसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी मारे गए । इस मुठभेड़ में कुल मिलाकर 8 उग्रवादी मारे गए उनमें से 6 की शिनाख्त बाद में (1) लाल मोहन यादव उर्फ नटवर (2) डा. तुलसी पासवान उर्फ पवनजी (3) नेपाली यादव (4) गुलाब चन्द्र यादव (5) कामेश्वर यादव और (6) चन्द्रिका चौधरी के रूप में की गई । तलाशी के दौरान, मुठभेड़ स्थल से एक स्टेनगन, एक .315 बोर राइफल, 3 डी. बी. बी. एल. गन, एक देशी रिवाल्वर, एक पाईप बम (सक्रिय) भारी मात्रा में सक्रिय/खाली कारतूस और भारी मात्रा में उग्रवादी साहित्य बरामद किया गया । मृतक उग्रवादी बड़े पैमाने पर जघन्य अपराधों में संलिप्त थे ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री आर. बी. प्रसाद, उप निरीक्षक, ए. कुमार, उप निरीक्षक, एस. के. झा, उप निरीक्षक, ए. के. सिंह, उप निरीक्षक, के. एन. सिंह, सिपाही, बी. सी. चौधरी, कांस्टेबल, वी. चौधरी कांस्टेबल, एन. के. सिंह, सिपाही, एस. के. सिंह, सिपाही, के. खान, सिपाही, एम. रहमान, सिपाही और पी. एस. प्रसाद, सिपाही ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4-7-1996 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 9-प्रेज/99—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सुनील कुमार, भा. पु. से.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
पटना ।

श्री अरसद जामन,
उप पुलिस अधीक्षक,
बाढ़पुर,
पटना ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

22/23 अप्रैल, 1997 के बीच की रात को, श्री सुनील कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और श्री अरसद जामन, उप पुलिस अधीक्षक उग्रवाद प्रभावित पालीगंज क्षेत्र में रात को राउन्ड ड्यूटी पर थे । लगभग 1.15 बजे पूर्वाह्न को गोलीबारी का सन्देश मिलने पर वे तुरन्त घटनास्थल की ओर भागे और वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अत्याधिक शस्त्रों से लैस उग्रवादियों ने सिगोरी पुलिस स्टेशन की पुलिस पार्टी पर घात लगाने की कोशिश की थी और पुलिस के साथ भीषण मुठभेड़ के बाद वे भाग गए थे । श्री सुनील कुमार ने भागने के सभी सम्भावित रास्तों को तुरन्त बंद कर दिया और उग्रवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया । एक पार्टी को गांव नौनियाचाक घेरने का निदेश दिया गया । पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के नेतृत्व में एक पार्टी को, गांव सरकुना और नवादा की ओर उत्तर-पूर्वी दिशा में भागने के रास्तों को बंद करने का आदेश दिया गया । सहायक पुलिस अधीक्षक, मासौरही के नेतृत्व में दूसरे दल को उग्रवादियों के पूर्वी दिशा से पुनपुन नदी के पास गांव इन्डो की तरफ से भागने के रास्तों को बंद करने का निदेश दिया गया । श्री सुनील कुमार, श्री अरसद जामन के साथ, गांव संभानबीघा को घेरने के लिए गए । लगभग 4.15 बजे पूर्वाह्न को, सहायक पुलिस अधीक्षक मासौरही के नेतृत्व वाले दल को गांव इन्डो के पूर्वी किनारे पर पहुंचने पर उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई । श्री सुनील कुमार को मुठभेड़ के बारे में वायरलैस से सूचना भेजी गई । इन्होंने उप निरीक्षक आर. के. सिंह के नेतृत्व वाले दल को तुरन्त इन्डो जाने का निदेश दिया । जब यह दल गांव के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा तो उग्रवादियों ने गांव के अन्दर से इस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की । श्री आर. के. सिंह ने श्री सुनील कुमार को सूचित किया कि उग्रवादी भारी गोलीबारी की आड़ में गांव गोपीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं । श्री सुनील कुमार और श्री जामन, अपने 12 पुलिस कार्मिकों के साथ गांव गोपीपुर की तरफ भागे । पूर्वाह्न 5.45 बजे जब वे पुनपुन नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचे तो उग्रवादियों ने नदी पार से गोलीबारी शुरू कर दी । श्री सुनील कुमार ने तुरन्त लेटकर मोर्चा सम्भाल लिया और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने गोलीबारी तेज कर दी । श्री कुमार ने अपनी पार्टी के कार्मिकों को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करने के लिए कहा । उग्रवादियों ने नदी पार करके नदी किनारे के उबड़-खाबड़ क्षेत्र में और झाड़ियों में मोर्चा लिया । नजदीक पहुंचने और गोलीबारी के लिए बेहतर मोर्चा तलाशने के लिए श्री कुमार के नेतृत्व वाले दल ने छिपने के स्थान की तरफ बढ़ना शुरू किया । पुलिस कार्मिकों ने जवाबी गोलीबारी की । यह मुठभेड़ एक घंटे से अधिक समय तक चली और उसके बाद उग्रवादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गई । तलाशी के दौरान उग्रवादियों के 6 शव बरामद हुए, उनमें से चार की शिनाख्त बाद में लाल बिहारी मोची, ललित मांझी, लखन मांझी और चेंगा मांझी के रूप में की गई । मृतक उग्रवादी गैर कानूनी उग्रवादी संगठन सी. पी. आई. (एम. एल.) के सशस्त्र दस्ते के सदस्य थे, जो अनेक हत्याओं और पुलिस पर हमलों में संलिप्त थे । मुठभेड़ के स्थान से एक रेगूलर अमेरिकन राइफल, लूटी गई एक .303 और पुलिस राइफल, दो रेगूलर राइफलें, दो डी. बी. बी. एल. गन और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सुनील कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अरसद जामन उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22-4-1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 11-प्रेज/99—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अब्दुल रशीद,
हैड-कांस्टेबल, 13वीं बटालियन,
जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

24-1-1995 को श्री अब्दुल रशीद, हैड-कांस्टेबल को अन्य पुलिस कर्मियों के साथ एक गुप्त कार्य पर कंगन भेजा गया था । यह पार्टी, पी. सी. आर. श्रीनगर के एक ट्रक में गुंड कंगन की तरफ रवाना हुई । लगभग 13.40 बजे जब यह पार्टी गांव थियोल पहुंची तो इस ट्रक पर प्रतिबंधित पाक समर्थित गुट एच. एम. के उग्रवादियों द्वारा घात लगाई गई । श्री रशीद ने अपने आदमियों को तत्काल चतुराई से तैनात किया, ताकि वे अपने आपको बचा सकें और हमले का मुकाबला भी कर सकें । उग्रवादियों, जिन्होंने सड़क के दोनों तरफ किलेबंदी कर रखी थी, ने भारी गोलीबारी करके पुलिस पार्टी को काबू किए रखा । सिविलियनों को हताहत होने से बचाने के लिए गोलीबारी का जवाब नियंत्रित ढंग से दिया गया । श्री रशीद के दाहिने कंधे में

गोली लगी लेकिन गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद वे पुलिस पार्टी का नेतृत्व करते रहे । श्री रशीद की छाती पर दाहिनी ओर ऊपरी हिस्से में पुनः गोलियों की बौछार हुई और उन्होंने दम तोड़ दिया । दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के परिणामस्वरूप एच. एम. गुट के एक कुख्यात आतंकवादी की मृत्यु हो गई, जिसका कोड नाम टाईगर थियोन था ।

इस मुठभेड़ में श्री अब्दुल रशीद, हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24-1-1995 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 12-प्रेज/99—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री मनोहर सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
श्रीनगर ।

उन संघाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

7/8-1-1996 के बीच की रात को स्पेशल आपरेशन ग्रुप हैडक्वाटर श्रीनगर में एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ खूंखार आतंकवादी नामतः बशीर अहमद उर्फ बादशाह खान, डिप्टी चीफ और शौकत अहमद उर्फ मुश्ताक बंदूक, डल झील के मध्य में मौजूद हैं । श्री मनोहर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक (आपरेशन) श्रीनगर ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए स्पेशल आपरेशन ग्रुप और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ नावों पर, अभियान शुरू किया । श्री सिंह ने अपने कार्मिकों को नावों पर सामरिक महत्व के स्थानों पर तैनात किया और स्वयं आगे से दल का नेतृत्व करने का फैसला किया । जैसे ही श्री सिंह ने लकड़ी के उस छोटे से केबिन, जिसमें उग्रवादी छिपे हुए थे, के सामने पांव रखा, तो उन्होंने अधिकारी पर गोलियों की बौछार कर दी, जो उन्हें नहीं लगी । आगे भीषण गोली-बारी में, श्री सिंह ने, आतंकित हुए बिना और साहस खोये बिना, अपने बाएं हाथ से केबिन के खम्बे को पकड़ लिया और उसे आड़ के रूप में इस्तेमाल करते हुए अकेले ही गोलियों का जवाब दिया और एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया । इस बीच, अन्य उग्रवादी लगभग 20 मिनट तक छिपने के स्थान के अन्दर से अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे और उसके बाद उन्होंने तीन हथगोले फेंके । सौभाग्य से दो हथगोले डल झील में गिरे जबकि तीसरा हथगोला श्री सिंह से कुछ गज की दूरी पर फटा जिससे उनका गला, दाहिना हाथ और दाहिना पांव जख्मी हो गया ।

2. जवानों के लिए खतरे को भांपते हुए, श्री सिंह जिनके शरीर से खून बह रहा था, अपनी राइफल से गोलियां चलाते हुए छिपने के स्थान के अन्दर कूद पड़े । उग्रवादी ने हताशा में अधिकारी पर लगातार गोलीबारी करते हुए भागने के लिए नाव में कूदने की कोशिश की लेकिन इस प्रक्रिया में श्री सिंह ने उसे मार गिराया ।

3. दोनों मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त पाक समर्थित अल-उमर मुजाहिद्दीन गुट के डिप्टी चीफ और जिला कमान्डर के रूप में की गई जो उग्रवाद संबंधी हत्याओं, लूटपाट, अपहरण और बलात्कार की अनेक घटनाओं में संलिप्त थे । मुठभेड़ के स्थान से एक ए. के. राइफल, 3 मैगजीन, 22 राउन्ड और दो वाकी-टाकी सैट बरामद किए गए जबकि एक ए. के. राइफल और एक पिस्तौल, जो उस उग्रवादी के पास थी जिसने भागने की कोशिश की थी, डल झील में गुम हो गई ।

इस मुठभेड़ में श्री मनोहर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7-1-1996 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 13-प्रेज/99—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मनमोहन सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
बारामूल्ला ।

श्री मुश्ताक अहमद,
कांस्टेबल,
एस. टी. एफ. बारामूल्ला ।

श्री सुखपाल सिंह,
कांस्टेबल,
एस. टी. एफ. बारामूल्ला ।

श्री जुगल किशोर,
कांस्टेबल,
एस. टी. एफ. बारामूल्ला ।

उन संघाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

19 जनवरी, 1997 को पुलिस अधीक्षक आपरेशन, बारामूल्ला को एक विशिष्ट सूचना मिली कि उग्रवादियों ने गांव

ब्रेनीना (बारामुल्ला) में शरण ले रखी है। उग्रवादियों को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स के साथ एक आपरेशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा 4 घंटे तक गांव के बाहर घेरा डाले रखा गया। घेरा डालने के तुरन्त बाद, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) मनमोहन सिंह ने, कार्मिकों के एक छोटे से दल के साथ उस घर पर छापा मारा जहां उग्रवादी छिपे हुए थे। पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) के साथ आए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक, राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी के साथ बाहर खड़े रहे। मकान के भूतल की तुरन्त तलाशी ली गई। लगातार पूछताछ करने के बाद, घर के एक व्यक्ति ने कहा कि उग्रवादी तीसरी मंजिल पर घास के ढेर में छिपे हुए हैं। श्री सिंह ने चेलेन्जर माइक का प्रयोग करके उग्रवादियों से नीचे आने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। प्रारम्भ में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई लेकिन जब इस क्षेत्र को घेरे हुए सेना के कार्मिकों ने इसी प्रकार की चेतावनी दी तो उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्री सिंह, जिनके साथ सर्व/श्री मुश्ताक अहमद, सुखपाल सिंह और जुगल किशोर, कांस्टेबल थे, ने साहस नहीं छोड़ा और विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक धैर्य का परिचय दिया। श्री सिंह उग्रवादियों को लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए कहते रहे लेकिन उग्रवादी कुछ गोलीबारी भूतल पर भी करते रहे जहां पुलिस अधीक्षक आपरेशन और उनके कार्मिक फंसे हुए थे। दोनों तरफ से लगभग डेढ़ घंटे तक गोलीबारी जारी रही। उग्रवादी जल्दी ही इस बात को समझ गए कि उनका गोलाबारूद कम होता जा रहा है। उनमें से एक व्यक्ति नामतः गु. नबी गनाई उर्फ नौबेरा सीढ़ियों से नीचे आया और श्री सिंह या उनके किसी कार्मिक को मारने के प्रयास में गोली चलाई। श्री सिंह जो सबसे आगे थे, ने तुरन्त कार्रवाई करते हुए अपनी ए. के. 47 राइफल से गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप गु. नबी गनाई उर्फ नौबेरा घटनास्थल पर ही मारा गया। अपने साथी को मरा हुआ देख, उग्रवादियों ने भूतल पर हथगोले फेंके। श्री सिंह अपने टीम कांस्टेबलों के साथ चुपके-चुपके ऊपर उस स्थान की ओर बढ़े जहां उग्रवादी छिपे हुए थे और ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। इन अधिकारियों को सामने देखकर नजीर अहमद भट उर्फ असरफ आश्चर्यचकित हो गया अपनी जान बचाने की कोशिश में उसने इस पार्टी पर गोलियां चलाई।

लेकिन पुलिस पार्टी ने तत्काल गोलियां चलाई और उसे मार गिराया इसके साथ ही साथ भूसे के ढेर में आग लग गई। श्री सिंह और उनके साथी घर से भाग निकले। आग बुझ जाने के बाद अब्दुल रहमान दर का जला हुआ शव बरामद किया गया।

दो ए.के. 47 राइफलें, 5 मैगजीन, 1 वायरलैस सैट, ए.के. के 60 राउन्ड और ए.के. के 200 खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री मनमोहन सिंह, पुलिस अधीक्षक, मुश्ताक अहमद, कांस्टेबल, सुखपाल सिंह कांस्टेबल और जुगल किशोर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19-1-1997 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 14-प्रेज/99—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवंगत) श्री दलजीत सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला पुंछ

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

29/30 मई, 1997 के बीच की रात को एक विश्वसनीय स्रोत से यह पता चला कि विदेशी मूल के पाक प्रशिक्षित उग्रवादी गांव फैजलाबाद में एक मकान में छिपे हुए हैं। यह सूचना प्राप्त होने पर 27 आर.आर. के साथ एक संयुक्त आपरेशन की योजना बनायी गई। 27 आर.आर., जिनका मार्ग दर्शन जम्मू और कश्मीर पुलिस के एस.टी.एफ. कार्मिक कर रहे थे, की सहायता से लक्षित क्षेत्र को मध्य रात्री में घेर लिया गया। पुलिस अधीक्षक, पुंछ और एस.टी.एफ. कार्मिकों की एक टुकड़ी, जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक दलजीत सिंह कर रहे थे, 30-5-1997 को तड़के 27 आर.आर. कार्मिकों के साथ इस आपरेशन में शामिल हो गई। उस मकान के भीतर सशस्त्र उग्रवादियों के होने की पुष्टि हो गई और उग्रवादियों से घर से बाहर आने और अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया। उग्रवादियों ने छापामार दल पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दल ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। इस गोलीबारी के दौरान विदेशी मूल का एक खूंखार उग्रवादी मारा गया। इस बीच मकान के अन्दर से गोलीबारी बंद हो गई और श्री दलजीत सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी को मकान की तलाशी लेने के लिए तैनात किया गया। मकान की तलाशी के दौरान, छिपे हुए उग्रवादियों ने अचानक तलाशी पार्टी पर गोलियां चला दी और श्री सिंह की छाती में गोली लगी। गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में भी श्री सिंह ने उग्रवादियों पर गोलियां चलाई और उन्हें पार्टी के अन्य सदस्यों को निशाना बनाने से रोका। अन्य छापामार पार्टी ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और इसी बीच श्री सिंह ने, अस्पताल ले जाते समय जख्मों के कारण दम तोड़ दिया।

मृत आतंकवादियों से बरामद किए गए शस्त्रों और गोलाबारूद में एक ए.के.-56 राइफल, एक मैगजीन ए.के.-47, ए.के.-47 के 18 राउन्ड, 9 एम.एम. के 11 राउन्ड और एक टूटा हुआ वायरलैस सैट शामिल हैं।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री दलजीत सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29-5-1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 15-प्रेज/99—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवंगत) श्री रविन्द्र कुमार,
कांस्टेबल,
एस.ओ.जी. थाटरी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

1-12-1997 को लगभग 23.45 बजे एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि भारी रूप से सशस्त्रों से लैस भाड़े के विदेशी सैनिकों का एक ग्रुप, पुलिस चौकी थाटरी के सालपारा कामसू क्षेत्र में ठहरा हुआ है । यह सूचना प्राप्त होने पर 1/2 दिसम्बर, 1997 की बीच की रात को छापा मारने की व्यवस्था की गई । इस ग्रुप को तीन छोटी-छोटी पार्टियों में बांटा गया, प्रत्येक पार्टी में 13-14 कार्मिक थे । कांस्टेबल रविन्द्र कुमार, उस ग्रुप में थे जिसका नेतृत्व हैड कांस्टेबल बशीर अहमद कर रहे थे । दूसरी अन्य दो पार्टियों का नेतृत्व हैड कांस्टेबल चैन सिंह और चयन सैनिक कांस्टेबल किशोरी लाल कर रहे थे । क्षेत्र में पहुंचने पर ये पार्टियां, भाड़े के 5 विदेशी सैनिकों के एक ग्रुप को घेरने में कामयाब हो गई । दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई । इस बीच, उग्रवादियों का एक अन्य ग्रुप, जो जंगलों में छिपा हुआ था और मुठभेड़ स्थल पर नजर रखे हुए था, ने भारी हथियारों जैसे यू.एम.जी. और एल.एम.जी. से एस.ओ.जी. पार्टियों पर गोलीबारी की । एस.ओ.जी. पार्टियों ने भी भारी गोलीबारी की और लश्कर-ए-तोइबा उग्रवादी गुट के स्वयंभू जिला कमान्डर नामतः अबू रहमान, अफगानिस्तान निवासी, को अलग-थलग करने और मार गिराने में सफल हो गई । इस मुठभेड़ में दो अन्य उग्रवादी (इनमें से एक उग्रवादी ने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया) भी गम्भीर रूप से जख्मी हुए । मुठभेड़ के स्थान से निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारूद बरामद किया गया :—

स्नाईपर राइफल	1 नग
स्नाईपर राइफल मैगजीन	2 नग
स्नाईपर राइफल गोलाबारूद	100
ग्रेनेड	1
चीनी पिस्तौल	1
पिस्तौल मैगजीन	2

इस आपरेशन के बाद, श्री कुमार और 20 कार्मिकों, जिनका नेतृत्व पी.एस.आई. कुलदीप कुमार कर रहे थे, को दूर-दराज के गांव सालपारा में रात गुजारनी पड़ी । रात के दौरान, विदेशी उग्रवादियों ने एस.ओ.जी. कैम्प पर चुपके से हमला बोला । हमले के समय, श्री कुमार, 5 अन्य कार्मिकों के साथ ड्यूटी पर तैनात थे । श्री कुमार ने उनके हमले का सामना किया और उनकी छाती के दाहिनी ओर गोली लगने से जख्मी हो गया और शरीर के अन्य भागों में भी कई जख्म हो गए । लेकिन वे अपनी ए.के. राइफल से जवाबी कार्रवाई करते रहे जिसके कारण हमलावर दूर ही रहे । अन्ततः एस.ओ.जी. द्वारा किए गए हमले के कारण उग्रवादियों को हमले को छोड़ देना पड़ा और हड़बड़ी में वापस भागना पड़ा । बाद में, श्री कुमार की जख्मों के कारण मृत्यु हो गई ।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री रविन्द्र कुमार कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1-12-97 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 16-प्रेज/99—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री एस. एम. जंगराल,
निरीक्षक

(दिवंगत) श्री अब्दुल गनी,
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

20-10-1996 को उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना मिलने के बाद, श्री जंगराल ने, हैड-कांस्टेबल अब्दुल गनी, मो. एशान, एस. पी. ओ. तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक प्लाटून के साथ 0500 बजे, पुछल, पुलवामा में अब्दुल समद खान नामक व्यक्ति के मकान को घेर लिया । घर में उग्रवादियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद, निरीक्षक ने उनसे बाहर आने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय, उग्रवादियों ने पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पार्टी पर गोलियां चला दीं । श्री जंगराल ने अपनी पार्टी को गोलियों का जवाब देने के लिए कहा । चूंकि उग्रवादी एक निर्मित और किलेबंद घर में

छुपे हुए थे, अतः छापामार पार्टी को बिना किसी आड़ के उसके पास जाना था । श्री जंगराल एक एस. पी. ओ. के साथ उस घर के पास गए । उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप, एस. पी. ओ. की मृत्यु हो गई । श्री गनी ने अपने साथियों के आगे मोर्चा संभाला और गोलीबारी की बौछार को स्वयं झेला । उन्होंने उग्रवादी छोटा सिकन्दर (एच. एम. का प्लाटून कमाण्डर) को मार गिराया । श्री जंगराल ने अपनी पार्टी को पुनः संगठित किया, उग्रवादियों को गोलियों का जवाब देते हुए उलझाए रखा और कुमुक मंगवाई । उसके बाद वे घर के अन्दर घुसे और उन सिविलियनों को बचाया जिन्हें उग्रवादियों ने बंधक बना रखा था । बंधकों को रिहा कराने में, श्री गनी ने अंततः अपने प्राणों की आहुति दे दी ।

इस आपरेशन में चार उग्रवादी मारे गए, जिसकी शिनाख्त बाद में मो. अय्यूब मीर उर्फ छोटा सिकन्दर, , निवासी सुरसयार प्लाटून कमांडर, एच. एम., सैफुल्लाह और अब्दुल रहमान लेली, एच. एम. के रूप में की गई । घटनास्थल से भारी मात्रा में गोला-बारूद के साथ दो ए. के. राइफलें, बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री एस. एम. जंगराल, निरीक्षक (दिवंगत) श्री अब्दुल गनी, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20-10-1996 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 17-प्रेज/99—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रामपाल सूरज प्रसाद यादव,
हैड-कांस्टेबल,
नागपुर शहर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

22-6-97 को उप-निरीक्षक कालासकर को सूचना मिली कि श्रवण उके और गिरोह के अन्य सदस्य, जघन्य व्यक्ति के साथ वाडाखेली में एक मकान में हैं । उप-निरीक्षक कालासकर, हैड-कांस्टेबल रामपाल और अन्य पुलिस कार्मिक तुरन्त वहां पहुंचे और छिपने के स्थान को घेर लिया । हैड-कांस्टेबल रामपाल के आगे-आगे उप-निरीक्षक कालासकर सीढ़ियों से ऊपर गए और गिरोह के सदस्यों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । लेकिन गिरोह के सात सदस्यों ने अपने हथियार निकाल लिए और उन्हें भाग जाने की धमकी दी । धमकियों के बावजूद श्री रामपाल, उके को निशस्त्र करने के लिए आगे बढ़े, जिसने बदले में रामपाल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं । श्री रामपाल के बाएं घुटने और जांघ में गोली लगी । जिससे वह घायल हो गए लेकिन इसके बावजूद वे उस पर झपट पड़े और उसे निशस्त्र कर दिया । उसके बाद, पुलिस पार्टी ने उके और चार अन्य को गिरफ्तार कर लिया जबकि दो भागने में सफल हो गए । आगे तलाशी लेने पर छिपने के स्थान से 6 बड़े चाकू, एक भाला और एक देशी पिस्तौल बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री आर. एस. यादव, हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22-6-1997 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 18-प्रेज/99—राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री वाई. बदिचन्द्र सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन लामलाई,
इम्फाल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

24-9-97 को जब श्री वाई. बदिचन्द्र सिंह उप-निरीक्षक अपनी पार्टी के साथ गांव सांगोल के पास खेतों की तलाशी ले रहे थे तो उन पर उग्रवादियों ने गोलियां चलाईं । पुलिस तथा उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई । परस्पर गोलीबारी के दौरान, श्री सिंह ने भागते हुए उग्रवादियों का स्वयं पीछा किया जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे । वे उनके समीप पहुंचने में सफल हो गए और उन्हें दबोच लिया । तथापि, इससे पहले कि वे अपने सहयोगियों की सहायता प्राप्त कर पाते, उन्हें उग्रवादियों द्वारा चलाई गई गोलियां लगीं और वे उसी स्थान पर मारे गए । उग्रवादी पहाड़ियों पर भाग निकले और झाड़ियों की आड़ में भागने में सफल हो गए ।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री वाई. बी. सिंह उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24-9-1997 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 19-प्रेज/99—राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवंगत) श्री गोपाल चन्द्र दास,
राइफलमैन,
पुलिस स्टेशन कंचनपुर,
उत्तरी त्रिपुरा ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

30-7-97 को लगभग 10.40 बजे श्री एन. सी. दास, 15 त्रिपुरा राज्य राइफल कार्मिकों के साथ वैनगन-कंचनपुर रोड पर वैनगन से डारछारा की ओर एक गाड़ी में जा रहे थे । जब वे नूतनबाड़ी पहुंचे तो उग्रवादियों के एक दल ने अधुनातम हथियारों के साथ अचानक उन पर गोलियां चलाईं । इस हमले में, एक गोली श्री दास को लगी और वे गम्भीर रूप से घायल हो गए । कुछ गोलियां ईंधन बैरल में लगी जिसने आग पकड़ ली, श्री दास भी आग के कारण जख्मी हो गए । गोली से घायल होने के बावजूद श्री दास तब तक अपनी एल. एम. जी. से गोली चलाते रहे जब तक कि उन्हें फिर गोली नहीं लग गई । अन्त में, वे गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई लेकिन मरने से पूर्व उन्होंने अपने एल. एम. जी. से 41 राउन्ड चलाए और उग्रवादियों को रोके रखा अतः इस प्रकार उन्होंने अपने सहयोगियों की जानें बचाईं । श्री दास की बहादुरी के कारण ही अन्य कार्मिक सफलतापूर्वक उग्रवादियों के आक्रमण का कड़ा मुकाबला करने में सफल रहे । श्री दास ने उच्चकोटि के साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप उनके साथियों के जीवन और हथियारों की रक्षा हुई ।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री एन. सी. दास, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30-7-1997 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 20-प्रेज/99—राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवंगत) श्री ए. बी. चकमा,
उप-अधीक्षक पुलिस,
उत्तरी त्रिपुरा ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

20-12-1996 को लगभग 08-10 बजे श्री अनन्त विकास चकमा को सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एन. एल. एफ. टी.) के उग्रवादियों ने मारालीसा में बस से अपहरण करने के बाद कुछ यात्रियों को मार डाला है । श्री चकमा ने तुरन्त प्रतिकारक आक्रामक कारवाई करने की योजना बनाई । उन्होंने त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की एक प्लाटून इकट्ठी की और स्वयं इस पार्टी का नेतृत्व संभाला । मारालीसा में, सड़क के दोनों ओर से कानवाई पर उग्रवादियों ने अधुनातम हथियारों से हमला कर दिया । श्री चकमा ने भारी गोलीबारी करके उसका जवाब दिया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया । लगभग 20-25 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही । गोलीबारी रुक जाने के पश्चात तलाशी शुरू की गई और मृत पुलिस-कार्मिकों के शव बरामद हुए । श्री चकमा के नेतृत्व और तत्काल साहसपूर्ण जवाबी कार्रवाई की वजह से इस हमले में, बल को एक भी हथियार का नुकसान नहीं उठाना पड़ा ।

श्री चकमा ने सेवा की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया ।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री ए. बी. चकमा, पुलिस उप अधीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20-12-1996 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 21-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सन्त राम,
हैड कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।
श्री चन्द्र कान्त,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल
अनिल खान,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल
श्री राम शंकर,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल
श्री शब्बीर हुसैन,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

श्री रामाल् गौड,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

श्री भगवान सहाय,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

श्री के. के. सिंह,
कांस्टेबल,
76 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

श्री मुहम्मद नजीर,
कांस्टेबल,
76 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

14 मई, 1997 को लगभग 1200 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि हरकत-उल- अन्सार गुट से संबंधित उग्रवादियों के एक ग्रुप द्वारा गांव सरिमनपुरा, जिला अनन्तनाग, जम्मू और कश्मीर में मुहम्मद अमकन्दर के घर में एक बैठक की जा रही है । उग्रवादियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई । जैसे ही सीमा सुरक्षा दल की टुकड़ी ने गांव में प्रवेश किया, उन्हें भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा । इसके पश्चात्, पार्टी को दो ग्रुपों में बांटा गया । प्रथम पार्टी का अगुआ श्री कटर, उप कमांडेंट को बनाया गया और दूसरी पार्टी का नेतृत्व श्री राजीव भारद्वाज, सहायक कमांडेंट को सौंपा गया । इन टुकड़ियों ने मकान को घेर लिया और उग्रवादियों को समर्पण करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया । मकान मालिक को बाहर बुलाया गया । पूछताछ पर उसने बताया कि 5-6 उग्रवादी उसके घर से गांव में किसी अन्य घर में चले गए हैं । जब प्रथम पार्टी दूसरे मकान की ओर बढ़ रही थी तो उन्हें एक दो मंजिले मकान से गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ा । इसी दौरान सर्वश्री चन्द्र कान्त और भगवान सहाय, कांस्टेबल उस मकान में प्रवेश कर गए जिसमें से उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी की जा रही थी । कुछ समय तक गोलीबारी चलती रही । मुठभेड़ के दौरान, उग्रवादियों ने मकान को आग लगा दी । दूसरी पार्टी जिसमें श्री सन्त राम, हैड कांस्टेबल, हरबंस सिंह और नारायण सिंह, कांस्टेबल शामिल थे, ने साथ के मकान में मोर्चा संभाला हुआ था, उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी की और उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर किया । लगभग 2200 बजे चार उग्रवादियों को अंधेरे का लाभ उठा कर मकान से बाहर आते हुए देखा गया । श्री चन्द्र कान्त और सहाय खिड़की से बाहर कूदे और भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया। उग्रवादियों द्वारा जवाबी गोलीबारी के दौरान, एक गोली श्रीकान्त, कांस्टेबल को लगी जो उग्रवादियों पर गोली चला रहे थे । गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद, श्रीकान्त ने भाग रहे उग्रवादियों पर गोली चलाना जारी रखा । इसी दौरान श्रवण सिंह, सूबेदार, बांका राम, हैड कांस्टेबल, राम भगत, शब्बीर हुसैन और रामाल् गौड के नेतृत्व में घेरा डालने वाली पार्टियों ने तीन उग्रवादियों को घटना स्थल पर ले जाया गया । कुछ समय पश्चात् लक्षित मकान में से और श्री सिंह को घेरा डालने वाली पार्टी ने मार डाला । इसके पश्चात्, घायल कांस्टेबल श्रीकान्त को बचाव दल द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया । कुछ समय पश्चात् लक्षित मकान में से दो उग्रवादियों को बाहर निकलते हुए देखा गया । तुरन्त, एस. एम. जी., ग्रुप ने उन्हें देख लिया और उन पर गोलीबारी कर दी । उनमें से एक उग्रवादी घायल हो गया लेकिन वे भागने में सफल हो गए । तलाशी के दौरान, सीमा सुरक्षा बल ने दो उग्रवादियों को देखा, उन्होंने उन पर तत्काल गोलियां चलाई और उन्हें घटनास्थल पर ही मार दिया ।

कुल मिलाकर 6 उग्रवादी मारे गए जिनकी पहचान उस्ताद अहमद अली, निवासी पेशावर (पाकिस्तान), यूनुस भट्ट, मुहम्मद सैयद, निवासी नेपाल, जलालुद्दीन, इसरार भट्ट, आसिफ बेग के रूप में की गई ।

मुठभेड़ के स्थान से निम्नलिखित हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया :

ए. के. 47 राइफल—01 नग
ए. के. 56 राइफल—04 नग
पिस्तौल—04 नग
ग्रेनेड—02 नग
वायरलैस—02 नग
कम्पास—02 नग
ए. के. 47 की मैगजीन—11 नग
ग्रेनेड डेट टेलिस्कोप—10 नग
डिनाकूलर—1 नग
ए. के.-47 राउन्ड—180 नग
पिस्तौल राउन्ड—17 नग
मैग पाउचिज—04 नग
रेडियो सेट के. बी. एल. सी. पैक—02 नग
लीड—04 नग
टार्च—03 नग
भारतीय मुद्रा—2630 रुपए
पाकिस्तानी मुद्रा—100 रुपए

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सन्त राम, हैड कांस्टेबल, चन्द्र कान्त, कांस्टेबल, अनिल खान, कांस्टेबल, राम भगत, कांस्टेबल, शब्बीर हुसैन, कांस्टेबल, रामाल गौड, कांस्टेबल, भगवान सहाय, कांस्टेबल, के. के. सिंह, कांस्टेबल और मुहम्मद नजीर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 की

अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14-5-1997 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 22-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और रैंक

श्री ए. सी. थपलियाल,
द्वितीय प्रभारी,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री निलेश कुमार,
सहायक कमाण्डेन्ट,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री शीश राम,
हैड कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

(विवंगत) श्री नरेन्द्र पाल,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री साबु वर्गीस,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री विजय कुमार,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री अनुपम कुमार,
कांस्टेबल,
69 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

13-7-97 को गांव रामपुरा, श्रीनगर में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में निश्चित सूचना प्राप्त होने पर श्री ए. सी. थपलियाल ने घेराबन्दी और तलाशी आपरेशन की योजना बनाई । 0330 बजे गांव की घेराबन्दी कर दी गई । श्री निलेश कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट ने गांव की घेराबन्दी करने के लिए एक पार्टी का नेतृत्व किया । लगभग 0530 बजे सीमा सुरक्षा बल की 69 बटालियन के 2 अफसर, 2 एस. आई., और 19 अन्य रैंक सहित तलाशी पार्टी ने श्री ए. सी. थपलियाल की कमान में गांव की तलाशी की और एक ऐसे मकान की पहचान कर ली जिसमें उग्रवादी छिपे हुए थे । 0840 बजे के लगभग गांव के प्रमुख निवासियों का एक प्रतिनिधि मण्डल उग्रवादियों को समर्पण करने के लिए मनाने हेतु भेजा गया । लेकिन उग्रवादियों ने ऐसा करने के इन्कार कर दिया और सीमा सुरक्षा बल टुकड़ियों पर स्वचालित हथियारों के साथ गोलीबारी शुरू कर दी जिसके जवाब में कार्रवाई की गई । बाद में श्री निलेश कुमार भी तलाशी पार्टी में शामिल हो गए । श्री थपलियाल को सामने की खिड़की पर एक एल. एम. जी. दिखाई दी और संदिग्ध मकान पर प्रभावी रूप से गोलीबारी शुरू कर दी । उग्रवादियों और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों के बीच परस्पर गोलीबारी होती रही । स्थिति की गम्भीरता को भांपते हुए, श्री थपलियाल ने सेना से आर. एल. इंट की मांग की । श्री थपलियाल टुकड़ियों को निदेश देने और उनके स्थान को बदलते रहने के लिए भारी गोलीबारी के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे । श्री कुमार ने संभाले हुए मोर्चे से ही सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों की गोलीबारी का समन्वय किया । 10.30 बजे के लगभग उग्रवादियों ने मकान को आग लगा दी और सभी दिशाओं से सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । उसके कुछ देर बाद, संदिग्ध मकान की बगल की खिड़की से पांच उग्रवादियों को कूदते हुए और धान के खेतों की ओर भागते हुए देखा गया । श्री निलेश ने अपने निजी हथियार से गोलियां चलाईं और अन्दर तथा बाहर घेरा डाले टुकड़ियों को सतर्क किया । सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां, जो उग्रवादियों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रही थीं, ने उनका पीछा किया । तेजी से पीछा किए जाने के कारण श्री नरेन्द्र पाल जिन्हें एल. एम. जी. के साथ रोक के रूप में तैनात किया गया था और श्री साबु वर्गीस, कांस्टेबल तथा उग्रवादी बिलकुल आमने-सामने हो गए । उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चला दी जिसकी वजह से वे घायल हो गए । घायल होने के बावजूद, उन्होंने गोलीबारी जारी रखी जिसमें दो उग्रवादी जख्मी हो गए । श्री कुमार ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन की जरा भी परवाह न करते हुए अपनी टुकड़ी के साथ भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया और एक उग्रवादी को मार गिराया । जब एक अन्य उग्रवादी बाहरी घेरे के घातक स्थल में आ गया तो श्री शीश राम, हैड कांस्टेबल ने उस उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे जख्मी कर दिया । जख्मी होने के बावजूद भी उग्रवादी ने श्री राम पर गोली चलाई । श्री शीश राम ने न केवल अपने आप को बचा लिया, बल्कि समीप से निशाना लगा कर उग्रवादी को मार डाला । दो अन्य उग्रवादी दूसरी ओर से बचने का प्रयास कर रहे थे, जहां पर सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां सतर्क थीं और उग्रवादियों की प्रतीक्षा कर रही थीं । जब दोनों उग्रवादियों ने टुकड़ियों पर गोली चलाने का प्रयास किया तो उन्हें श्री विजय कुमार, कांस्टेबल और श्री अनुपम कुमार, कांस्टेबल ने मार गिराया । घायल होने के कारण बाद में श्री नरेन्द्र की मृत्यु हो गई । इस क्षेत्र की तलाशी के दौरान, 4 ए. के.-56 राइफलें, ए. के. सीरीज के 6 मैगजीन, ए. के. सीरीज के 60 गोला-बारूद, 4 मैगजीन पाउच, एक हाथ की घड़ी (रीको) और 60/- रुपए

भारतीय मुद्रा सहित भारी मात्रा में हथियार/गोला बारूद बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में श्री ए. भी. थपलियाल, द्वितीय प्रभारी, निलेश कुमार, सहायक कमाडेंट, शीश राम, हैड कांस्टेबल (दिवंगत) नरेन्द्र पाल, कांस्टेबल, साब दर्शन, कांस्टेबल, विजय कुमार, कांस्टेबल और अनुपम कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-7-1997 से दिया जाएगा ।

वरूण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 23-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवंगत) श्री रामदीन काछी
कांस्टेबल
96, बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1-7-97 को गांव सरहोटा, जिला राजौरी में उग्रवादियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त होने पर सीमा सुरक्षा बल की 96वीं बटालियन की तीन सर्विस कम्पनियों द्वारा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई । दो तलाशी पार्टियों ने लूनपाल के ऊपर से नीचे की ओर मकानों की तलाशी लेनी शुरू की । जब तलाशी पार्टी नं. 2 गांव सरहोटा में तीसरे ढोक पर पहुंची तो श्री रामदीन काछी कांस्टेबल, जोकि स्काउट थे, उस ढोक, जिसके दो भाग थे, एक भाग रिहायश तथा दूसरा भाग पशुशाला के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, की जांच करने के लिए सावधानीपूर्वक बढ़े । रिहायशी भाग की जांच करने के पश्चात् तलाशी पार्टी ढोक के पशुशाला वाले हिस्से की ओर आगे बढ़ी लेकिन पशुशाला के अन्दर कुछ गतिविधियां देखी गईं । श्री रामदीन, जो कि आगे थे, ने मोर्चा संभाला और ढोक में जो भी था उसे बाहर आने के लिए कहा । कोई उत्तर न मिलने पर, श्री रामदीन धीरे से आगे बढ़े और उन्हें ललकारा । ललकारने पर तत्काल उग्रवादियों ने यू.एम.जी. की गोलियों की एक बौछार कर दी जो श्री रामदीन के मुंह, ठोडी और टांग पर लगी । श्री रामदीन घुटनों के बल गिर गए, उन्होंने तलाशी पार्टी को सावधान किया और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत हथियार से गोलियां भी चलाईं । इसी दौरान, तलाशी पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी गोलियों का जवाब दिया । अपने जख्मों/निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री रामदीन वीरता के साथ लड़े और उग्रवादियों पर लगातार गोलियां चलाते रहे । लेकिन उग्रवादियों ने पुनः दो हथगोले फेंके जोकि उस पशुशाला के दरवाजे के बाहर आकर गिरे और फट पड़े । ग्रेनेड की किरचें श्री रामदीन के शरीर के पिछले भाग और सिर में घुस गईं और जख्मों के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई । ढोक की तलासी के दौरान, निम्नलिखित हथियारों/गोलाबारूद के साथ पाकिस्तान के तीन उग्रवादियों के शव बरामद हुए :—

(क) यू. एम. जी.—01 नग
(ख) के.के.-56 राइफल—01 नग
(ग) पिस्तौल—02 नग
(घ) ए.के.-56 मैगजीन—04 नग
(ङ) पिस्तौल मैगजीन—03 नग
(च) विभिन्न प्रकार का गोला-बारूद—273 राउन्ड
(छ) ग्रेनेड—02 नग
(ज) हैण्ड हैल्डरेडियो सेट—02 नग
(झ) रेडियो सेट का एन्टिना—02 नग

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री रामदीन काछी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1-7-1997 से दिया जाएगा ।

वरूण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 24-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

वीरता के लिए पुलिस पदक

(दिवंगत) श्री विनोद कौल,
कांस्टेबल,
200वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

वीरता के लिए पुलिस पदक का बार

श्री जी. एन. काबू
अपर उप महानिरीक्षक,
एस.एच.क्यू. आई.एस.डी.-2,
सीमा सुरक्षा बल ।

वीरता के लिए पुलिस पदक

श्री करतार सिंह,
उप कमांडेंट,
200वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

वीरता के लिए पुलिस पदक

श्री जगत सिंह,

हैड कांस्टेबल,

48वीं बटालियन,

सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

6-11-1997 को लगभग 15.45 बजे, फिरदौस कालोनी, सौरा, श्रीनगर क्षेत्र में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में निश्चित सूचना मिलने पर, श्री डी. एस. काबू, अपर उप महानिरीक्षक ने उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष आपरेशन की योजना बनाई। लगभग 1645 बजे, सीमा सुरक्षा बल की 24, 48, 89 और 200वीं बटालियन की टुकड़ियों ने इस क्षेत्र की चारों ओर से घेराबंदी कर दी। घेराबन्दी के पश्चात् श्री श्री विनोद कौल, जो एक तलाशी पार्टी के अगुवा स्काउट थे, जब लक्षित घर के निकटवर्ती एक मकान की ओर बढ़ रहे थे तो इन्होंने एक उग्रवादी को देखा। इन्होंने उग्रवादी को समर्पण करने के लिए कहा लेकिन इसके प्रतिउत्तर में उस उग्रवादी ने ए.के. राइफल से गोलियां चलाईं परिणामतः एक गोली उनके माथे पर लगी। गोली लगने के बावजूद, श्री कौल ने अपनी राइफल से बदले में गोली चलाई और उग्रवादी को जख्मी कर दिया। श्री कौल को तत्काल शेरे-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर ले जाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच, श्री डी. एस. काबू भी घटनास्थल पर पहुंच गए और इन्होंने आपरेशन की कमान सम्भाल ली। इन्होंने टुकड़ियों को उचित स्थान पर तैनात करने के पश्चात् अन्धेरे और आस-पास के मकानों में सिविलियनों की उपस्थिति के कारण आगामी कार्रवाई सुबह ही करने का निर्णय लिया। 7-11-97 को लगभग 0700 बजे, एक तलाशी पार्टी, जिसमें श्री जगत सिंह, हैड कांस्टेबल थे, जब लक्षित मकान की ओर बढ़ रही थी तो यह उग्रवादियों की गोलियों के बीच फंस गई जिसमें श्री राम अवतार, कांस्टेबल के बाईं टांग में एक गोली लगी। गोली से घायल होने के बावजूद, श्री राम अवतार ने जवाब में गोली चलाई और एक उग्रवादी को गैराज में एक कार के नीचे छिपे हुए भी देख लिया। श्री जगत सिंह ने गोलीबारी करके उग्रवादी को उलझाए रखा। श्री काबू ने, जख्मी श्री राम अवतार को वहां से तुरंत ले जाने का निदेश दिया और उग्रवादियों के छिपने की जगह से केवल 8 से 10 फुट की दूरी पर गैराज के गेट के समीप बंकर में घुस गए जिस पर भारी गोलीबारी की जा रही थी और आपरेशन का निर्देशन किया। गोली चलाने से पूर्व श्री काबू ने उग्रवादियों को समर्पण करने की चेतावनी दी। समर्पण के बजाए, उग्रवादियों ने ग्रेनेड फेंके एक ग्रेनेड उस बंकर गाड़ी की ओर फेंका जिसमें से श्री काबू आपरेशन का संचालन कर रहे थे और दूसरा तलाशी पार्टी की ओर फेंका लेकिन इनमें कोई नुकसान नहीं हुआ। श्री करतार सिंह, उप-कमांडेंट, जो लक्षित मकान के समीप एक एल.एम.जी. पोस्ट में तैनात थे और तलाशी पार्टी के एक सदस्य श्री जगत सिंह ने अपनी जान को जोखिम में डालकर भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़े और गैरज के अन्दर ग्रेनेड फेंके जिससे गैरज में खड़ी कार में आग लग गई। कार के आग पकड़ने के पश्चात् उग्रवादी को खिसकते हुए और कार के नीचे से बाहर आते हुए देखा गया और उसे मार गिराया गया।

2. श्री काबू ने सभी टुकड़ियों को उपयुक्त स्थानों पर तैनात करने के पश्चात् एक बार फिर उग्रवादियों को समर्पण करने की चेतावनी दी लेकिन उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी जिसका प्रति उत्तर दिया गया, जिसके कारण भीषण मुठभेड़ हुई। श्री काबू अपनी जान को जोखिम में डालकर स्वयं भारी गोलीबारी के बीच एक मकान से दूसरे मकान में आते-जाते रहे और प्रत्येक पार्टी को लक्षित मकान पर गोली चलाने और ग्रेनेड फेंकने के निदेश देते रहे। श्री करतार सिंह भारी गोलीबारी के बीच मकान की खिड़की के बहुत समीप अपने स्थान से हटे और मकान के अन्दर दो ग्रेनेड फेंके। कुकिंग गैस के सिलेण्डरों में विस्फोट के कारण मकान में आग लग गई। तत्काल, दो उग्रवादियों को खिड़की से बाहर कूदते हुए देखा गया। इससे पहले कि वे टुकड़ियों पर गोली चलाते उन्हें उलझाए रखा गया और मार गिराया गया। 8-11-97 को मकान की तलाशी ली गई और उग्रवादी का जला हुआ शव और हथियार/गोला-बारूद बरामद हुआ जिसमें चार ए.के.-47 राइफलें, एक 9 एम.एम. पिस्तौल, 14 ए.के. मैगजीन, एक पिस्तौल मैगजीन, ए.के.-56 गोला-बारूद के 96 राउंड और 9 एम.एम. गोला-बारूद शामिल हैं।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री विनोद कौल, कांस्टेबल, डी. एस. काबू, अपर उप-महानिरीक्षक, करतार सिंह, उप-कमांडेंट और जगत सिंह, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक/पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6-11-1997 से दिया जाएगा।

तरुण मित्रा

राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 25-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जी.पी.एस. विर्क,

सहायक कमाण्डेन्ट,

9वीं बटालियन,

सीमा सुरक्षा बल

श्री रणबीर सिंह,

कांस्टेबल,

9वीं बटालियन,

सीमा सुरक्षा बल

श्री अरुण कुमार,
कांस्टेबल,
24 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

श्री चूड़ चन्द,
कांस्टेबल,
24 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

7-4-1997 को लगभग 1045 बजे इस्लमिया कालेज, हवाल (जम्मू और कश्मीर) के सामने कब्रिस्तान क्षेत्र से कुछ उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के बंकर नम्बर-4 की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। तत्काल, बंकर में उपस्थित संतरी ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और वायरलैस के माध्यम से कम्पनी मुख्यालय को भी सूचित कर दिया। इसी के साथ-साथ, 1110 बजे के लगभग, संतरी ड्यूटी पर तैनात श्री अरुण कुमार, कांस्टेबल ने महसूस किया कि संगीन गेट की तरफ से कुछ सिविलियन संदिग्धावस्था में आ रहे हैं। जब वे बंकर से लगभग 100 गज की दूरी पर थे तो संतरी ने उनके फेरन से राइफल की बैरल बाहर निकलते हुए देखी। पोस्ट कमाण्डर के आदेश पर संतरी ने अपनी राइफल से उग्रवादियों पर गोली चलाई। उग्रवादी निर्मित क्षेत्र का लाभ उठाते हुए एक मकान के अन्दर घुसने में सफल हो गए और उन्होंने अपने यू.एम.जी. और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। तुरंत उस मकान को घेर लिया गया। गोलियों की आवाज सुनते ही श्री रणबीर सिंह कांस्टेबल सहित श्री जी.पी.एस. विर्क, सहायक कमांडेंट अपनी टुकड़ियों के साथ पी.ओ. की तरफ दौड़े। श्री विर्क ने मोर्चा संभाल लिया और पी. पी. गाड़ी को कब्रिस्तान की ओर बढ़ाने का निदेश दिया और उग्रवादियों को उलझाए रखने के लिए बंकर गाड़ी के ऊपर लगाई गई एल.एम.जी. से गोलीबारी की। इसी के साथ-साथ श्री रणबीर सिंह सहित श्री विर्क ने गोली चलाओ और आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई और उग्रवादियों के समीप पहुंचने में सफल हो गए। परस्पर भारी गोलीबारी हो रही थी। श्री विर्क ने अपनी असाल्ट राइफल से यू.एम.जी. को उलझाए रखा और श्री रणबीर सिंह को तत्काल आगे बढ़ने का निदेश दिया। ऐसा करते समय कांस्टेबल रणबीर सिंह को उग्रवादियों द्वारा यू.एम.जी. से चलाई गई कुछ गोलियां उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी लेकिन वह उस उग्रवादी को घायल करने में सफल हो गए जिसके पास घातक हथियार था। इससे उग्रवादियों की यू.एम.जी. को निष्क्रिय किया जा सका और वे घटनास्थल से भागने लगे। एक उग्रवादी ने तंग गली से निकल भागने का प्रयास किया लेकिन वह पीछा करती हुई पार्टी के हाथों मारा गया। तथापि, दो अन्य उग्रवादी हवाल की ओर भागते रहे। श्री विर्क ने अपनी टुकड़ियों के साथ, खून के निशानों के पीछे चलते-चलते उस मकान का पता लगा लिया जिसमें उग्रवादियों ने शरण ली हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को देखकर उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसी समय, सीमा सुरक्षा बल की 24 वीं बटालियन की टुकड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंच गईं और मकान की ओर से घेरा डाल दिया। श्री रणबीर सिंह, श्री अरुण कुमार और चूड़ चन्द के साथ श्री विर्क ने मकान के अन्दर प्रवेश किया। दोनों उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। श्री विर्क अपनी पार्टी सहित उस मकान के भूतल की ओर भागे और एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार डाला। तथापि, दूसरा उग्रवादी जिसने दूसरी मंजिल में शरण ली हुई थी, टुकड़ियों पर गोलियां चलाता रहा। श्री विर्क अपनी टुकड़ियों सहित सीढ़ियों और दीवार की आड़ लेकर दूसरी मंजिल की ओर बढ़े और उग्रवादी को मारने में सफल हो गए। इस आपरेशन में हरकत-उल-अन्सार गुट के चार उग्रवादी मारे गए और 1 यू.एम.जी., ए.के. सीरीज की 4 राइफलें, 1 यू.एम.जी. ड्रम टाइप मैगजीन, 1 राकेट लान्चर, 12 एम.ए.जी. ए.के. सीरीज, 1 राइफल ग्रेनेड डिसचार्ज कप, 1 इलैक्ट्रिक डेटोनेटर, 198 ए.के. सीरीज गोला-बारूद, ए.के. सीरीज के 24 ई.एफ.सी. और 2 क्लिनिंग किट बाक्स ए.के. सीरीज सहित हथियार/गोलाबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री जी.पी.एस. विर्क, सहायक कमाण्डेंट, रणबीर सिंह, कांस्टेबल, अरुण कुमार, कांस्टेबल, चूड़ चन्द, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7-4-1997 से दिया जाएगा।

तरुण मिश्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 26-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री आर. सिवुवीयाह,
लांसनायक,
104 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

श्री रिशी पाल सिंह
कांस्टेबल,
104 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

23-9-1997 को करीब 0845 बजे असम राइफल्स के एक वाहन पर तंगचेरा बी.ओ.पी. में उग्रवादियों द्वारा घात लगा कर हमला किया गया जिसमें एक जे.सी.ओ., एक एन.सी.ओ., असम राइफल के चार जवान तथा एक सिविलियन ड्राईवर मारे गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर,

ओ. पी. पार्टी, बेलचेरा, के कमांडर होने के नाते लांसनायक सिद्दीयाह ने स्थिति को भांप लिया और अपनी पार्टी को दो दलों में विभाजित कर उग्रवादियों को पकड़ने के लिए मौके की तलाश में घात लगाई। उन्होंने कांस्टेबल मदन गोपाल के साथ एक दल का नेतृत्व स्वयं किया तथा कांस्टेबल रिशी पाल सिंह और कांस्टेबल के. सेतु जिस दल में थे, ने इस प्रकार से मोर्चा लिया जिसमें कि धान के खेतों के सम्पूर्ण इलाके पर कारगर ढंग से गोलीबारी की जा सके और उस पर दोनों दलों द्वारा नजर रखी जा सके।

2. करीब 0905 बजे सीमा सुरक्षा बल के घात लगाने वाले दल ने जैतूनी हरे रंग की वर्दी पहने हुए चार सशस्त्र कार्मिकों को धान के खेत में से होकर अपनी ओर आते देखा। लांसनायक सिद्दीयाह ने अपने जवानों के दो दलों को कवर प्रदान कर इस तरह से तैनात किया था कि वे उस मार्ग पर नजर रख सकें जिससे होकर उग्रवादियों को बंगलादेश की सीमा पर पहुंचने के लिए गुजरना था। लांसनायक सिद्दीयाह ने संयम रखा और जैसे ही उग्रवादी उनकी गोलीबारी की रेंज के अन्दर आए उन्होंने सीटी बजाई और तुरन्त सीमा सुरक्षा बल के दो दलों ने एक साथ गोलीबारी करनी शुरू कर दी। उग्रवादियों में से दो को गोलियां लगीं जबकि दो उग्रवादियों ने मोर्चा ले लिया और जवाबी गोलीबारी करने लगे। लांसनायक सिद्दीयाह और दूसरे दल, जिसका नेतृत्व कांस्टेबल रिशी पाल सिंह कर रहे थे, ने आड़ का फायदा उठा कर सावधानी पूर्वक आगे बढ़े और उस स्थान के एक ओर पहुंचने में सफल हो गए जहां दोनों उग्रवादी मोर्चा लिए हुए थे। वे इन दोनों उग्रवादियों पर भी गोलीबारी करने में सफल हो गए। बरामद किए गए शस्त्र/गोलाबारूद में 2-एस.एल.आर., 4 मैगजीनें, 70 राउण्ड जीवित गोलाबारूद, 1-ए.के. 56 राइफल, 2-ए.के. 56 मैगजीनें, 8 ए.के. 56 के जीवित कारतूस तथा 1-कारबाइन मशीन शामिल हैं।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री आर. सिद्दीयाह, लांसनायक और रिशी पाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23-9-1997 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 27-प्रेज/99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आर. पी. जून,
उप-निरीक्षक,
67वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री टी. पी. सिंह,
कांस्टेबल,
67वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

1-3-1997 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 67वीं बटालियन के कमांडेंट को औजान्टिक, मणिपुर में स्थित एफ/67वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कम्पनी कार्मिकों में वेतन और भत्तों का वितरण करने के लिए जाना था। अतः श्री जून की कमान में एक प्लाटून को आर. ओ. पी. ड्यूटी करने के लिए तैनात किया गया। श्री टी. पी. सिंह, कांस्टेबल, को स्काउट नं. 1 के रूप में भेजा गया। जिस समय अग्रिम टुकड़ी नगरिन बस्ती से गुजर रही थी, तो उसी समय छोटी पहाड़ी की दाईं ओर से उन पर अचानक भीषण गोलीबारी की गई। श्री सिंह ने तुरन्त गोलीबारी का जवाब दिया। पार्टी कमांडर श्री जून ने तुरन्त स्थिति का जायजा लिया और एच. ई. बम फायर करने का आदेश दिया। दोनों ओर से 10-15 मिनट तक गोलीबारी जारी रही। कारगर गोलीबारी के कारण उग्रवादियों को भारी नुकसान हुआ और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया परन्तु श्री सिंह ने कोई परवाह न करते हुए उग्रवादियों का पीछा करना जारी रखा और एक उग्रवादी को घायल करने में सफल हो गए। अन्य उग्रवादियों ने भागते हुए भी गोली चलाना जारी रखा परन्तु 2" मोर्टार से की गई सटीक गोलीबारी के कारण उग्रवादियों के शक्तिशाली दल के हौसले पस्त हो गए। मृत उग्रवादी की पहचान कच्छमथाई कामेई के रूप में की गई जो कि एन. एस. सी. एन. का सक्रिय कार्यकर्ता था। घटनास्थल से 3 मैगजीनों, 09 मि. मी. की चीन निर्मित पिस्तौल समेत एक ए. के. राइफल बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री आर. पी. जून, उप निरीक्षक, टी. पी. सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1-3-1997 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 28-प्रेज/99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सूबे सिंह,
हैड कांस्टेबल,
65वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री विष्णु प्रसाद,
कांस्टेबल,
65वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

3-10-96 को दोपहर बाद हैड कान्स्टेबल श्री सूबे सिंह के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी जे. एन. अस्पताल के प्रथम तल पर वार्ड में तैनात की गई । श्री सिंह ने उक्त गार्डों को इस प्रकार से कुशलतापूर्वक तैनात किया कि वे स्वयं श्री विष्णु प्रसाद कांस्टेबल और श्री हाकिम सिंह, कांस्टेबल के साथ आगे की ओर रहे तथा हरिभान कांस्टेबल और संजय कुमार सिंह कांस्टेबल के साथ श्री ओम प्रकाश, लांस नायक को वार्ड के पीछे की तरफ तैनात किया । श्री पंचम लाल, कान्स्टेबल और श्री आर. पी. त्रिपाठी, कान्स्टेबल को वार्ड के अन्दर रोगी पलंग के निकट तैनात किया ।

2. करीब 1700 बजे, श्री हाकिम सिंह गैलरी के अन्दर मूत्रालय की ओर गए जहां पर श्री सूबे सिंह, हैड कान्स्टेबल और श्री विष्णु प्रसाद ड्यूटी पर थे । इस छोटे से अन्तराल के दौरान ही तीन प्रीपैक उग्रवादी, जिन्होंने अपने कपड़ों के नीचे पिस्तौल/रिवाल्वर और हथगोले छिपाए हुए थे, हथियारों से लैस होकर पुलिस कार्मिकों के संबंधी होने का ढोंग करते हुए सीढ़ियों से वार्ड की ओर बढ़े । इस वार्ड के पिछली ओर चार दीवारी के पीछे सुनसान इलाके में उग्रवादियों के एक अन्य दल ने सामान्य नागरिक होने का दिखावा करते हुए मोर्चा ले लिया ।

3. उग्रवादियों का पहला ग्रुप जब वार्ड के सामने के रास्ते की ओर बढ़ा तो सतर्क गार्ड को वहां तैनात देख कर अपना संतुलन खो बैठा और गार्ड की ओर एक हथगोला फैंक दिया और इसी के साथ तीनों उग्रवादियों ने एक साथ श्री सूबे सिंह और श्री विष्णु प्रसाद पर पिस्तौलों/रिवाल्वरों से गोलियां चलानी शुरू कर दीं । सामने की ओर से हमला करने वाले उग्रवादियों की पिछली ओर छिपे हुए उग्रवादी दल द्वारा भारी गोलीबारी करके मदद की गई ।

4. उग्रवादियों की आशा के विपरीत, श्री सूबे सिंह ने हमले में घायल हो जाने के बावजूद जवाबी गोलीबारी की अपने खून में लथपथ होते हुए भी वे गोलियां चलाते रहे और उग्रवादियों को न केवल वहां से भागने को मजबूर कर दिया बल्कि इस प्रक्रिया में, एक खूंखार प्री-पैक उग्रवादी, थौदमा दिनेश उर्फ पुनिशिबा उर्फ रोमेश एवं श्री थौदम इबोपीशाक को भी मार गिराया तथा उससे .38 बोर की विदेशी रिवाल्वर और उसके चार खाली खोल भी बरामद किए ।

5. इस कार्रवाई में, श्री सूबे सिंह, हैड कांस्टेबल और श्री विष्णु प्रसाद, कान्स्टेबल की पिछली तरफ मौजूद गार्ड द्वारा पीछे की ओर से गोलीबारी कर रहे उग्रवादियों के ग्रुप पर भारी जवाबी गोलीबारी करके मदद की गई तथा उन उग्रवादियों को पीछे की ओर तैनात गार्ड को कोई हानि पहुंचाए बिना वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया । श्री सूबे सिंह और श्री विष्णु प्रसाद को श्री हाकिम सिंह द्वारा भी सहायता की गई जो उनकी पार्टी की मदद करने के लिए पहुंचे और उग्रवादियों को घटनास्थल से भागने को मजबूर कर दिया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सूबे सिंह, हैड कांस्टेबल और विष्णु प्रसाद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3-10-1996 से दिया जाएगा ।

करुण मिश्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 29-प्रेज/99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री अनिल कुमार,
कान्स्टेबल (ड्राइवर),
132 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

23-6-1997 को 7.55 बजे जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक पार्टी जब गश्त ड्यूटी पर थी तो उस पर असम के कार्बीआंगलांग जिले में डालडाली में उग्रवादियों द्वारा घात लगा कर हमला किया गया । फलस्वरूप, कमान अधिकारी और तीन पुलिस कार्मिक, जो पहले वाहन में सवार थे, घटनास्थल पर ही मारे गए और उसी वाहन के चालक अनिल कुमार को दो गोलियां लगीं जिससे वह जख्मी हो गया । जख्मी होने के बावजूद श्री अनिल कुमार ने उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए समझ-बूझ के साथ वाहन चलाना जारी रखा । आगे मुख्य मार्ग पर उग्रवादियों के एक अन्य ग्रुप की मौजूदगी को भांप कर श्री कुमार ने दक्षतापूर्ण गाड़ी चलाते हुए वाहन को पास के कच्चे रास्ते में डालडाली रेलवे स्टेशन की ओर मोड़ दिया । उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी के बीच श्री कुमार द्वारा लगातार वाहन चलाने से तथा समय पर अपने वाहन को दूसरे मार्ग में मोड़ देने के कारण दूसरे वाहन को गजब कवरिंग मिल गई जिसमें 12 पुलिस कर्मी बैठे हुए थे तथा इस प्रकार से सभी घायल होने से बच गए। डालडाली रेलवे स्टेशन पहुंचने पर अधिक रक्त बह जाने के कारण हालत गंभीर हो जाने के बावजूद श्री कुमार ने सब कार्मिकों के शस्त्र एकत्र करने में देर नहीं लगाई तथा साथ-ही-साथ उन्होंने आगे की कार्रवाई करने हेतु रेलवे स्टाफ को सतर्क कर दिया ।

इस मुठभेड़ में, श्री अनिल कुमार, कान्स्टेबल/ड्राईवर ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23-6-1997 से दिया जाएगा ।

करुण मिश्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 30-प्रेज/99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सी. आर. मण्डल,
हैड कान्स्टेबल,
10वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

27-8-97 को तीन वाहनों का एक काफिला अर्थात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10वीं बटालियन की दो जिप्सियां और एक जीप जिनमें दो जी.ओ., एक एस.ओ. तथा ग्यारह अन्य रैंक (10वीं बटालियन के कमांडेंट समेत) डिब्रूगढ़ बराई लखुए से श्री आर. तोमर कमांडेंट को लेकर ग्रुप मुख्यालय सीसा (ए.सी.पी.) को जा रही थी। करीब 1730 बजे जिस समय यह काफिला जायपुर (डिब्रूगढ़) से केवल 7 कि. मी. की दूरी पर थी, तो उस पर उल्फा उग्रवादियों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों से भारी गोलीबारी की गई। इसमें आगे चल रहे वाहन में बैठे चालक और दो अन्य कार्मिक गोली लगने से घायल हो गए तथा गोली लगने के कारण एक टायर की हवा निकल गई और जीप एक खाई में जा गिरी। दूसरे वाहन में श्री आर. तोमर, कमांडेंट, को भी गोलियां लगीं और जीप एक दूसरी पहाड़ी की आड़ लेकर रुक गई तथा उसमें सवार तीन व्यक्ति विस्फोट के कारण आग लगने से पहले ही वाहन से बाहर कूद गए। तीसरे वाहन में सवार व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए और ड्राईवर तथा श्री ओमपाल सिंह, ड्राईवर/कान्स्टेबल घायल हो गए। उपर्युक्त घटना में तीन व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए जबकि एक व्यक्ति बाद में मरा। श्री आर. तोमर, कमांडेंट, श्री ओमपाल सिंह, ड्राईवर/कान्स्टेबल और श्री ... गंभीर चोटें आईं। उग्रवादियों की ओर से करीब 15 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। उग्रवादियों के हमले के दौरान श्री सी. आर. मण्डल, हैड कान्स्टेबल, जो कि सबसे आगे वाले वाहन में थे, तुरन्त बाहर कूद आए और इन्होंने तुरन्त अपनी एल. एम. आर. से उग्रवादियों की ओर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जब इनकी एल. एम. आर. ने खराबी के कारण काम करना बंद कर दिया तो इन्होंने सिपाही श्री अरुण कुमार से 51 मि. मी. की मोर्टार ले ली और उससे 3 बम कारगर रूप से उग्रवादियों की ओर दागे जिससे वे पीछे हटने और वहां से भागने पर मजबूर हो गए। इसके फलस्वरूप, काफिले के दूसरे और तीसरे वाहन में कमांडेंट समेत सवार अन्य जवानों की जान बचाई जा सकी तथा गोलाबारूद और सरकारी सम्पत्ति के नुकसान को रोका जा सका। इन्होंने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दोमाली, पहुंचाने में तथा वहां से फिर असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़, ले जाने के कार्य में भी तत्परता और सक्रियता का परिचय दिया।

2. उग्रवादियों से निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई :

(1) ए. के. श्रेणी के कारतूस खोल—05

(2) ए. के. श्रेणी के जीवित कारतूस—03

(3) वाकी टाकी एंटेना—01

(4) ए. के. श्रेणी के कारतूस खोल—14 राउण्ड

(5) ए. के. श्रेणी का अप्रयुक्त गोला-बारूद—06 राउण्ड

(6) मोर्टार खोलों के प्लास्टिक कंटेनर—03 नग

(7) एक मिसफायर हुआ आर. पी. जी. खोल

(8) खाली मैगजीन (ए. के.-47 राइफलें)—02 (जली हुई अवस्था में)

(9) एक अधजली ए. के. 47 राइफल, 30 राउण्ड समेत एक मैगजीन

इस मुठभेड़ में श्री सी. आर. मण्डल, हैड कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27-8-1997 से दिया जाएगा।

वरुण मित्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 31-प्रेज/99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक
(दिवंगत) श्री आर. एम. पाण्डे,
कांस्टेबल/ड्राईवर,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8-11-1997 को करीब 20.30 बजे, नोएडा के गांव गोडा के श्री एस. के. त्यागी के निर्माणाधीन घर पर हथियारों से लैस चार बदमाश हत्या करने के इरादे से स्कूटर पर सवार होकर पहुंचे। इस पर, श्री त्यागी और उनका नौकर सहायता के लिए चिल्लाए तथा छुपने का प्रयास किया। उनकी चीख-पुकार सुनकर, पड़ोस के केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर से कांस्टेबल पाण्डे पड़ोसियों सहित उन्हें बचाने के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े। इस बीच अपराधियों ने गोलीबारी करके श्री त्यागी को घायल कर दिया। इसी दौरान, श्री पाण्डे घटना स्थल पर पहुंच गए तथा उनमें से पिस्तौल वाले एक अपराधी को दबोचने का प्रयास किया। उनकी गिरफ्त से बचने के लिए अपराधी अपने साथियों सहित वहां से भाग खड़े हुए लेकिन उनका पीछा किया गया। अन्ततः कांस्टेबल पाण्डे ने उस स्थान पर उनमें से दो अपराधियों को काबू कर लिया। जहां अन्य अपराधी स्कूटर पर बचकर भाग निकलने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई विकल्प न पाकर, अन्य अपराधियों ने बिल्कुल निकट से श्री पाण्डे पर गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप श्री पाण्डे

वहीं गिर गए और बाद में घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई । अपराधी तब वहां से बचकर भाग निकलने में सफल हो गए । अपना सर्वोच्च बलिदान देकर कांस्टेबल/ड्राईवर पाण्डे ने अन्य लोगों की जानें बचाईं ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री आर. एम. पाण्डे, कांस्टेबल/ड्राईवर ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8-11-1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा, राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 32-प्रेज/99—राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री राज कुमार,
निरीक्षक,
19वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री शमशेर सिंह,
कान्स्टेबल,
19वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री मोहिन्दर सिंह,
कान्स्टेबल,
19वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री गिरधर जोशी,
कान्स्टेबल,
19वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

04 मई, 1997 को श्री जशोद राम, सहायक कमांडेंट, को वांगम गांव के घर में उग्रवादियों के मौजूद होने के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई । पुलिस पार्टी ने उस क्षेत्र में घेरा डाल दिया और श्री राजकुमार तथा अन्य ने घर-घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया । जब पार्टी चिन्हित घर की तरफ बढ़ी तो उन पर उग्रवादियों द्वारा गोलियों की बौछार की गई । श्री राज कुमार और उनकी पार्टी ने उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने पर जवाबी गली-बारी की । इस बीच, उग्रवादियों ने कान्स्टेबल शमशेर सिंह की ओर 2 अत्याधुनिक हथगोले फेंके, जिन्होंने बदले में उन हथगोलों को उग्रवादियों की ओर वापस फेंक दिया । निरीक्षक राजकुमार ने श्री शमशेर सिंह को कवरिंग फायर प्रदान की ताकि वह वापस लौट सकें लेकिन श्री सिंह का बांया हाथ गोली लगने से घायल हो गया । जब कान्स्टेबल मोहिन्दर पाल ने विभिन्न दिशाओं से आए चार उग्रवादियों पर गोली-बारी जारी रखी तो उनका दाहिना हाथ गोली लगने से जख्मी हो गया परन्तु वे रेंगकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में सफल हो गए । चूंकि उग्रवादी पक्का बने हुए मकान में छिपे हुए थे इसलिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की जवाबी गोली-बारी कारगर साबित नहीं हो रही थी । अतः निरीक्षक राजकुमार ने, आतंकवादियों को पकड़ने के उद्देश्य से अपनी पार्टी समेत घर के अन्दर घुसने की योजना बनाई, जैसे ही निरीक्षक राजकुमार को सफलता मिलने वाली थी, कभी उन पर गोलियों की बौछार हुई और वे घायल हो गए । परन्तु, श्री राजकुमार द्वारा गोलीबारी का जवाब दिया गया । उग्रवादियों द्वारा और अधिक गोलियां चलाई गईं और इस प्रकार से श्री राजकुमार ने अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया ।

सहायक कमांडेंट जशोद राम ने, कमांडेंट को कान्स्टेबल मोहिन्दर पाल के सुरक्षित स्थान पर ले आने के बारे में खबर दी, जो कुमुक सहित तुरंत घटना स्थल की ओर दौड़े । बार-बार चेतावनियां देने के बावजूद उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी जारी रखी । उनकी गोलीबारी का जवाब देने के लिए, मकान की छत पर पुनः दल तैनात की गई । इस बीच, अन्य कान्स्टेबल भी रेंगते हुए घायल कान्स्टेबल मोहिन्दर सिंह की ओर गए और उग्रवादियों की गोलीबारी को निष्क्रिय किया और कान्स्टेबल पाल को बचा कर बाहर निकाला ।

5 मई, 1997 को उग्रवादियों ने उस घर को आग लगा दी जिसमें वे छिपे हुए थे । उग्रवादियों तथा घर के लोगों को बाहर आने का बार-बार चेतावनी देने के बाद, तीन लड़कियों के साथ उनका मां तथा एक उग्रवादी, मुख्य द्वार के निकट आए । श्री जोशी, जो एक दीवार के साथ खड़े थे, ने घर के अन्दर झांकने के लिए गोली चलाई और इस प्रक्रिया में उग्रवादी से टकरा गए । बड़ी चुस्ती-फुर्ती से कार्रवाई करते हुए श्री गिरधर उग्रवादी से भिड़ गए । गोली चलाना संभव नहीं था क्योंकि उनकी राइफल का बिज-ब्लाक नीचे गिर गया था । परन्तु श्री जोशी ने उग्रवादी को कस कर पकड़े रखा और उसे अपने साथ नीचे गिरा दिया तो उसने बट से मारना शुरू कर दिया । जब उग्रवादी ने स्वयं को मुक्त करा लिया तो अन्य कान्स्टेबलों ने उसका पीछा किया और उसे मार गिराया । ए. के. श्रेणी की दो राइफलों समेत उग्रवादियों के दो शव, जले हुए घर से बरामद किए गए । मृत तीनों उग्रवादियों की पहचान बाद में खालिद जुबेर, उग्रवादी कमांडर सिद्दीकी और उग्रवादी अरशद हुसैन के रूप में की गई जिनके संबंध में एक खूंखार उग्रवादी संगठन के साथ थे । मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित शस्त्र और गोला-बारूद बरामद हुए :—

(1) ए. के.-56 श्रेणी की 3 राइफलें ।

(2) ए. के.-56 श्रेणी की 8 मैगजीनें ।

(3) एक वायरलैस सेट ।

(4) पाक-निर्मित 2 हथगोले ।

(5) ए. के.-56 श्रेणी के 61 राउण्ड गोला-बारूद ।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) राजकुमार, निरीक्षक, शमशेर सिंह, कान्स्टेबल, मोहिन्दर सिंह, कान्स्टेबल और गिरधर जोशी, कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4-5-1997 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 33-प्रेज/99—राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री कुलदीप सिंह,
हैड-कांस्टेबल,
19वीं-बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री बसंत सिंह,
कांस्टेबल,
19वीं-बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

15-1-1998 को 19वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट को सूचना प्राप्त हुई कि गांव गोरां में उग्रवादी मौजूद हैं । उन्होंने तुरन्त घेरा डालने और तलाशी अभियान की योजना बनाई । सबसे पहले उग्रवादियों के बचकर भागने के सभी रास्तों को सील कर दिया गया । सर्वश्री कुलदीप सिंह और बसंत सिंह को, बचकर भाग निकलने के रास्तों में से एक रास्ते को कवर करने की जिम्मेवारी सौंपी गई । अचानक उन्होंने तीन उग्रवादियों को अपनी ओर आते हुए देखा । सर्वश्री कुलदीप सिंह और बसंत सिंह ने आगे बढ़ कर करीबी मोर्चा संभाल लिया । परन्तु उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया । यद्यपि, मौसम खराब था फिर भी दोनों कांस्टेबल आगे बढ़ते गए और उन्हें आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारते रहे । परन्तु उग्रवादियों ने गोली-बारी शुरू कर दी जिससे श्री कुलदीप सिंह जख्मी हो गए । अपनी निजी सुरक्षा को परवाह किए बगैर श्री कुलदीप सिंह ने श्री बसंत को अपनी एल. एम. जी. से गोली चलाने का निर्देश दिया और स्वयं अपनी एस.एल.आर. से गोली चलाना जारी रखा । दोनों ओर से हुई गोली-बारी के परिणामस्वरूप एक उग्रवादी मारा गया जबकि अन्य दो उग्रवादियों ने खराब मौसम का लाभ उठाया और बचकर भाग निकले । मृत उग्रवादी की पहचान बाद में अब्दुल रशीद मोहम्द, पुत्र गुलाम अहमद मोहम्द के रूप में की गई मुठभेड़ स्थल से एक ए. के.-56 राइफल, 3-मैगजीन, 60 जीवित राउन्ड, तथा अन्य वस्तुओं सहित एक उच्चशक्ति वाला विस्फोटक और बड़ी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री कुलदीप सिंह, हैड-कांस्टेबल और बसंत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15-1-98 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 34-प्रेज/99—राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विजयपाल सिंह,
हैड कान्स्टेबल,
24वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

22-4-98 को विश्वस्त सूचना मिली कि एक खूंखार उग्रवादी हबीबुल्ला, जिसकी अत्यधिक तलाश थी और जो एच. एम. गुट से संबंधित एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक है, ने अपने साथियों के साथ वेरिंग, अनन्तनाग (जम्मू व कश्मीर) में एक घर में शरण ली हुई है । उसके कट्टर और नापाक कृत्यों का खौफ स्थानीय जनता में बहुत अधिक जमा हुआ था । उस कट्टर भाड़े के उग्रवादी, जो काफी समय से सुरक्षा दलों की गिरफ्त से बचता आ रहा था, को पकड़ने के उद्देश्य से भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 24वीं बटालियन ने घेरा डालने और तलाशी अभियान चलाने की योजना बनाई ।

2. हैड कान्स्टेबल विजयपाल के नेतृत्व में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ियां अलाभकारी स्थिति में थी । समाज विरोधी तत्व एक कंकरीट के पक्के मकान में छिपे हुए थे जो उन्हें मजबूत सुरक्षा प्रदान किए हुए था । इसके मुकाबले में, पुलिस के जवान एक दम सामने खुले में थे । परन्तु, श्री सिंह ने हिम्मत नहीं हारी । उन्होंने अपने सशस्त्र साथियों की हिम्मत बंधाई और साहसपूर्वक आगे बढ़ने के लिए कहा, जबकि उन्होंने आगे बढ़ कर उनकी अगुवाई किया । उग्रवादियों ने उन्हें

आतंकित करने और आगे बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से गोलीबारी करना शुरू कर दिया। परन्तु, श्री सिंह बड़े धैर्य के साथ चतुराई से आगे बढ़ते रहे और अन्ततः उग्रवादियों के पास वाले घर में पहुंचने में सफल हो गए और एक प्रभावकारी मोर्चा ले लिया। इस पर समाज विरोधी तत्व घबरा गए और उस घर पर अन्धाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी। श्री सिंह ने उन पर कारगर ढंग से जवाबी कार्रवाई करके दुर्दान्त उग्रवादियों को मार गिराया।

3. बरामद किए गए शस्त्र और गोला बारूद में एक ए. के.-56 राइफल, एटेच्ड राकेट लांचर-1, राकेट-5, ए. के.-56 की तीन मैगजीनें, 35 राउण्ड ए. के.-56 का गोला-बारूद तथा 23 खोल, यासेयू 24 एफ. एम. ट्रांस-रिसीवर एफ. टी.-23 आर-1, ट्रांजिस्टर-9, बैण्ड सेटी-1, 1000 अफगानी और 185/- भारतीय रुपए।

इस मुठभेड़ में श्री विजयपाल सिंह, हैड कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22-4-1998 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 35-प्रेज/99—राष्ट्रपति, रेलवे सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ए. हुमायूं कबीर (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल, रेलवे सुरक्षा बल,
मद्रास डिवीजन,
दक्षिणी रेलवे

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

3 मई, 1991 को कांस्टेबल ए. हुमायूं कबीर ने बिना टिकट के एक यात्री एंसन को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर एंसन ने पिस्तौल निकाल लिया और टिकट परीक्षक श्री शाहिद रहमान, कांस्टेबल कबीर और अन्य को गोली मारने की धमकी दी। उसे भागने से रोकने के लिए, कांस्टेबल कबीर दौड़ा और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। लेकिन कमरे में उपस्थित अन्य लोगों को एंसन द्वारा जान से मार देने की धमकी के कारण, कांस्टेबल कबीर ने दरवाजा खोला और एंसन को निशस्त्र करने के लिए उस पर कूद पड़ा। अपने बचाव का कोई और रास्ता न देखकर, एंसन ने कांस्टेबल कबीर पर गोली चला दी और बचकर भाग निकला लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया। कांस्टेबल कबीर ने घावों के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया।

2. कांस्टेबल ए. हुमायूं कबीर ने बंदूकधारी अपराधी एंसन से अन्य लोगों को बचाने में अनूठी बहादुरी का कार्य करके और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री ए. एल. कबीर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3-5-1991 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 36-प्रेज/99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री यू. आर. रामेश्वरम,
उप-निरीक्षक,
52वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री यू. आर. रामेश्वरम की कमान में एक प्लाटून को बैंक की सुरक्षा ड्यूटी पर यूको बैंक, विष्णुपुर (मणिपुर) में तैनात किया गया था। 7-5-1998 को, लगभग 1230 बजे, अधुनातम हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक ग्रुप ने बैंक की इमारत के सड़क की ओर वाले मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्डों पर बहुत नजदीक से गोलियां चलाईं। इसके परिणाम-स्वरूप, एक कांस्टेबल मौके पर ही मारा गया और दूसरा गार्ड कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी की आवाज सुनकर श्री रामेश्वरम घटनास्थल की ओर दौड़े। नीचे उतरते हुए, उन्होंने सीढ़ियों से उन उग्रवादियों पर 3-4 गोलियां चलाईं, जो अपने हथियारों से गार्ड कमांडर पर गोलीबारी कर रहे थे, और इस आपसी गोलीबारी में, उन्होंने एक उग्रवादी को मार गिराया जो मृत कांस्टेबल की एस. एल. आर. छीनने की कोशिश कर रहा था। इस पर अन्य उग्रवादी अपने साथियों के शवों को पीछे छोड़ हड़बड़ी में घटनास्थल से भाग निकले।

2. मारे गए उग्रवादी से 14 जीवित कारतूसों के साथ एक चीन निर्मित 9 एम एम पिस्तौल और प्राइम्ड नं. 36 एच ई हैण्ड ग्रेनेड बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री यू. आर. रामेश्वरम, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7-5-1998 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 37-प्रेज/99—राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री गुलबदन सिंह,
उप पुलिस अधीक्षक, (ओपरेशन्स)
कुपवाड़ा ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12-5-1998 को, सूचना प्राप्त होने पर, श्री जी. बी. सिंह, उप पुलिस अधीक्षक ने अन्य कर्मियों के साथ गुलगाम वन क्षेत्र, जहां कुछ भाड़े के विदेशी सैनिक छिपने के एक अड्डे में ठहरे हुए बताए गए थे, छापा मारा । जब घेराबंदी की जा रही थी तो भाड़े के सैनिकों ने पुलिस पार्टी पर अपने आधुनिकतम हथियारों से अंधाधुन्ध गोलीबारी शुरू कर दी । श्री सिंह और अन्य कर्मी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, भारी गोलीबारी के बावजूद, उग्रवादियों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए छुपे हुए भाड़े के विदेशी सैनिकों की तरफ बढ़े । श्री सिंह ने एक हाथ से जवाबी गोली चलाई और अपने अंगरक्षक से ग्रेनेड राइफल उन्हें सौंपने के लिए कहा ताकि वह ग्रेनेड चलाकर भाड़े के विदेशी सैनिकों को छिपने के अड्डे से बाहर कर उसे नष्ट कर सकें । भाड़े के विदेशी सैनिकों के साथ लड़ते हुए श्री सिंह के सिर में एक गोली लगी और वे गम्भीर रूप से घायल हो गए और बाद में घावों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया । इस कार्रवाई में भाड़े के दो विदेशी सैनिक मारे गए और मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया :—

1. ए. के.-47 राइफलें	02 नग
2. ए. के.-47 राइफल मैगजीन	7 नग
3. ए. के.-47 राइफल गोलाबारूद	137 राउंड
4. चाइनीज पिस्तौल	1 नग
5. पिस्तौल मैगजीन	3 नग
6. पिस्तौल की गोलियां	16 राउंड्स
7. रेडियो सेट (क्षतिग्रस्त)	1 नग

इस मुठभेड़ में, श्री गुलबदन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12-5-1998 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 38-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री डी. एस. सागी,
द्वितीय प्रभारी,
चौथी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री मुन्ना लाल,
लांसनायक,
चौथी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री राम सेवक,
उप कमांडेंट,
चौथी बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

30-1-1998 को श्री डी. एस. सागी, द्वितीय प्रभारी को गांव-करालपोरा में विद्रोही ग्रुप की बैठक होने के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई । लगभग 1845 बजे श्री आर. एल. कवर, और मठन सिंह, सूबेदार, जोकि निगरानी पार्टी में थे, ने मार्कीट के नजदीक एक व्यक्ति को संदिग्धावस्था में घूमते हुए देखा । इससे पहले कि संदिग्ध व्यक्ति पिस्तौल निकालता और गोली चलाता वे उसे धर दबोचने में सफल हो गए । उन्होंने उसे बीच ही निशस्त्र कर दिया और उसकी पहचान गुलाम हुसैन लोन, एच. एम. ग्रुप के डिवीजन कमांडर के रूप में की गई । पूछताछ करने पर उसने बताया कि कुछ विद्रोही मोहम्मद यासीन मलिक के घर में उपस्थित हैं । श्री सागी ने राम सेवक, उप कमांडेंट, आर. एल. कवर, सूबेदार, मठन सिंह, सूबेदार मुन्ना लाल, लांसनायक और सुभाष चन्दर, कांस्टेबल को साथ लेकर उस घर का घेरा डाल दिया और उसके बाद श्री सागी और चांद ने घर में घुसने का निर्णय लिया । जब श्री चांद ने दरवाजे से अंदर घुसने का प्रयत्न किया तो उन पर गोलियों की बौछार की गई । जब श्री सागी ने गोली चलाने का प्रयास किया, तो एक गोली उनकी राइफल के फ्रंट हैण्ड गार्ड और गैस सिलेंडर पर लगी । उक्त घर में छुपे हुए उग्रवादी ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी और पुलिस पार्टी ने भी जवाब में गोली चलाई । एक भीषण मुठभेड़ हुई । श्री राम सेवक और मुन्ना लाल एक खिड़की को खोलने में सफल हो गए और घर में घुस गए । उक्त कमरे से सावधानीपूर्वक

आगे बढ़ते हुए वे हर कमरे में ग्रेनेड फेंकते गए और आगे बढ़ते गए । राम सेवक और मुन्ना लाल ने विद्रोहियों का वस्तुतः अंदर मुकाबला करने में सफल हो गए । तलाशी लेने पर घर के अंदर से दो शव मिले जिनकी पहचान गुलाम मोहम्मद पारे उर्फ यूनुस राजा और उर्फ इम्तियाज एच. एम. के डिप्टी चीफ और एच. एम. गुट के संचार संगठन के महाप्रबंधक और मोहम्मद यासीन मलिक के रूप में की गई ।

निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया :—

1.	चीन निर्मित पिस्तौल	1
2.	चीन निर्मित पिस्तौल मैगजीन	1
3.	जीवित कारतूस (9 एम एम)	20 नग
4.	ए. के.-47 राइफल	5 नग
5.	ए. के.-56 ग्रेनेड राइफल	1 नग
6.	ए. के.-47 राइफल मैगजीन	5 नग
7.	ए. के.-56 ग्रेनेड राइफल मैगजीन	1 नग
8.	जीवित राउन्ड (ए. के.-47)	272
9.	राइफल ग्रेनेड	13 नग
10.	प्लास्टिक ग्रेनेड	1 नग
11.	वायरलैस सैट	3 नग
12.	आर. पी. जी. राकेट	3 नग
13.	राकेट बूस्टर्स	3 नग

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री डी. एस. सागी, द्वितीय प्रभारी, राम सेवक, उप कमांडेंट और मुन्ना लाल, लांसनायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30-1-1998 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 39-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री राम अवतार,
द्वितीय प्रभारी,
52वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री बी. बी. सोनार,
हैड कांस्टेबल,
52वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री थावरिया मारे,
लांसनायक,
52वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

11-1-1998 को, लगभग 12.00 बजे गंडेरबल क्षेत्र में सोनापारा मोहल्ला थिरू गांव में कुछ विद्रोहियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई । श्री राम अवतार, द्वितीय प्रभारी ने जवानों की पार्टी को तीन ग्रुपों में विभाजित किया । श्री अवतार ने आदेश दिया कि एक ग्रुप एक तरफ से गांव की तलाशी शुरू करे । तलाशी शुरू करने पर उग्रवादियों ने घेरा डालने वाले ग्रुप पर गोलीबारी शुरू कर दी । श्री अवतार ने घेराबन्दी को, उन दो घरों जिनमें उग्रवादी बीच में घिरे हुए थे, समेत पांच घरों के और नजदीक कर दिया । एक घर से दूसरे घर की ओर तेजी से दौड़ते हुए उग्रवादियों ने एक ग्रेनेड फेंका जो 2 घरों के बीच जाकर फटा और उसकी किरचों से श्री अवतार मामूली रूप से घायल हो गए । घायल होने के बावजूद श्री अवतार घर में रेंगते हुए घर के अन्दर घुसने में कामयाब हो गए और फिर उस घर, जिसमें उग्रवादी छिपे हुए थे, का दरवाजा तोड़ते हुए ऊपरी मंजिल पर चढ़ गए । श्री अवतार ने अपने साथी को घर की खिड़की में [illegible] फायर करने के लिए श्री थावरिया, लांसनायक को तैनात किया और [illegible] खिड़की [illegible] के अन्दर [illegible] ग्रेनेड फेंकने में सफल हो गए । ग्रेनेड फटने और उसके किरचें [illegible] । [illegible] और उग्रवादी [illegible] ने उस घर पर धावा बोल दिया और पाया कि एक उग्रवादी ग्रेनेड की किरचों से मारा जा चुका था । [illegible] घर की [illegible] उग्रवादी [illegible] गोलीबारी कर रहा था, की घेराबंदी की थी श्री सोनार, हैड कांस्टेबल, जो [illegible] घर के अंदर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहा था, को गोली लगी कुछ मिनटों और 6 ग्रेनेड फेंकने के बाद गोलीबारी रुक गई । श्री अवतार ने दूसरे घर पर भी धावा बोल दिया जहां उन्होंने एक और उग्रवादी को मरा हुआ पाया । मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में पड़ोसी देश के हाफिज मोहम्मद और अताउल्लाह के रूप में की गई ।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया :—

1.	ए. के.-47 राइफल	1
2.	ए. के.-56 राइफल	1
3.	ए. के. श्रेणी की मैगजीन	8
4.	ए. के. गोला-बारूद	100 राउंड

5.	चाइनीज पिस्तौल	1
6.	पिस्तौल मैगजीन	1
7.	पिस्तौल गोला-बारूद	32 राउंड
8.	ग्रेनेड	3
9.	रेडियो सेट-1	1

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री राम अवतार, द्वितीय प्रभारी, डी. डी. सोनार, हैड कांस्टेबल और थायरिया मोरे, लांसनायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11-1-1998 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 40-प्रेज/99—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आर. नागेश्वर राव,
कांस्टेबल,
29वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

9 मई, 1998 को श्री आर. नागेश्वर राव, कांस्टेबल मालकाटा तक सीमा सुरक्षा बल की कानवाई में गए । क्योंकि पणिसागर के लिए बल का कोई वाहन उपलब्ध नहीं था अतः श्री राव मानकाटा से एक सिविल ट्रक में सवार हो गए । रास्ते में पलाइथाल में तीन आदिवासी युवक भी इसी ट्रक में सवार हो गए । कुछ किलोमीटर तक यात्रा करने के बाद, उन तीन आदिवासी युवकों में से एक ने पिस्तौल निकाल ली और ट्रक चालक की गरदन पर रख दी और पैसे मांगने लगा । अन्य बदमाशों ने भी चालक को मांग पूरी करने के लिए धमकाया । उन्होंने श्री राव समेत सभी यात्रियों को पैसा और कीमती सामान सौंपने की धमकी दी और ऐसा न करने पर भयानक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री राव ने उन बदमाशों में से, एक से भरी हुई पिस्तौल छीन ली । वे सशस्त्र बदमाशों पर झपटे, कुछ समय तक उनके साथ भिड़ गए और अकेले ही उन में से दो को दबोच लिया और अपनी दोनों बाहों के नीचे उन्हें इतनी जोर से दबाया कि उन्हें खून की उल्टियां शुरू हो गईं । इसी बीच, तीसरा बदमाश, श्री राव की आक्रमणता का सामना नहीं कर सका और अपनी देशी पिस्तौल छोड़ कर भाग खड़ा हुआ । बदमाशों और यात्रियों सहित ट्रक को पणिसागर पुलिस स्टेशन लाया गया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया । तलाशी लेने पर, 3 देशी पिस्तौल, 1 हथौड़ा, 5 ग्राम विस्फोटक, 300 ग्राम सीसा और एक इंच की 139 कीलें बरामद की गईं ।

इस मुठभेड़ में श्री आर. एन. राव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9-5-1998 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 41-प्रेज/99—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ए. पी. सिंह,
कांस्टेबल,
66वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

7 फरवरी, 1996 को लगभग 0700 बजे 66वीं बटालियन के श्री ए. पी. सिंह सहित 14 कर्मियों की एक पार्टी तीन वाहनों में हाफलोंग (असम) स्थित 39वीं बटालियन से अपने-अपने बटालियन मुख्यालयों को रवाना हुए । रास्ते में लगभग 0930 बजे इस कानवाई पर मैबांग, जो असम का पहाड़ी और घने जंगल वाला क्षेत्र है, में घात लगाकर हमला किया गया । उग्रवादियों ने सड़क के दोनों तरफ से खाई में अच्छी तरह से छिपी हुई मोर्चाबंदी से गोलीबारी कर दी । श्री ए. पी. सिंह, उस वाहन से तुरन्त बाहर कूद गए जिसमें वे सवार थे, और सड़क के किनारे ढलान पर मोर्चा संभाल लिया और अपने हथियार से प्रभावी रूप से जवाबी कार्रवाई की । उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा और बचाव की परवाह किए बिना असाधारण वीरता का परिचय देते हुए उग्रवादियों की तरफ प्रतिकारात्मक गोलाबारी करके घात लगा कर किए गए हमले का मुकाबला किया । गोलीबारी 20 मिनट से ज्यादा देर तक होती रही इस दौरान उन्हें जारी किया गया गोला-बारूद भी समाप्त हो गया लेकिन उग्रवादियों की भारी गोलाबारी के बावजूद, श्री सिंह लगभग पांच गज तक रेंगते हुए गए और एक साथी कांस्टेबल जोगेश्वर मल्लिक, जो घात लगाकर किए गए हमले में मारे जा चुके थे, की व्यक्तिगत राइफल उठा ली और उग्रवादियों की तरफ लगातार गोलीबारी करते रहे । जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा । श्री ए. पी. सिंह ने भागते हुए उग्रवादियों का पीछा किया और उनमें से दो को घायल करने में कामयाब हो गए लेकिन वे सब बच कर भाग निकलने में सफल हो गए ।

इस मुठभेड़ में श्री ए. पी. सिंह, कॉन्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7-2-1996 से दिया जाएगा।

वरूण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 42-प्रेज/99—राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जे. पी. सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
अनंतनाग।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

8-2-96 को श्री जे. पी. सिंह, पुलिस अधीक्षक, अनन्तनाग ने गांव चक-एच्छाबल, अनन्तनाग, में अपने कर्मियों के साथ उग्रवादियों के छिपने के अड्डे को घेरा। एस. ओ. जी. पार्टी, जिसकी मदद सीमा सुरक्षा बल की एक टुकड़ी कर रही थी, पर उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गई। इस अधिकारी ने अपने कर्मियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया और घेरे को मजबूत किया। जब उग्रवादियों से समर्पण करने को कहा गया, तो उन्होंने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करनी शुरू कर दी। श्री सिंह ने अपने कर्मियों को आदेश दिए कि वे उग्रवादियों को छिपने के अड्डे के सामने से, उलझाए रखें तथा स्वयं एक जवान के साथ पीछे की ओर से घर में घुस गए। श्री सिंह ने उस उग्रवादी पर हमला कर दिया जिसने इन पर ग्रेनेड से फायर करने की कोशिश की थी, परन्तु वह ग्रेनेड नहीं फटा। उग्रवादियों से भीषण गोलीबारी के दौरान श्री सिंह ने उस उग्रवादी को मार डाला। बाद में इन दोनों उग्रवादियों की पहचान पाकिस्तान समर्थित संगठन हरकत-उल-अंसार से जुड़े खूंखार उग्रवादियों के रूप में की गई। मुठभेड़ स्थल से एक जी. पी. राइफल, 1 ए. के.-56 राइफल, 1 वायरलैस सैट तथा बड़ी मात्रा में शस्त्र, गोलाबारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में श्री जे. पी. सिंह पुलिस अधीक्षक, ने अदम्य वीरता साहस एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8-2-96 से दिया जाएगा।

वरूण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 43-प्रेज/99—राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पुतुल सैकिया,
सहायक उप निरीक्षक (आपरेटर,)
ए. पी. रेडियो संगठन,
अलबारी।

श्री जतिन पातोर,
हवलदार,
प्रथम असम पुलिस बटालियन,
नाजिरा।

(दिवंगत) श्री ए. आर. बोरभुयां,
कान्स्टेबल,
प्रथम असम पुलिस बटालियन,
नाजिरा।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

2-2-1996 को जब कान्स्टेबल एन. एच. मजूमदार, संतरी ड्यूटी पर थे तो लगभग 1.05 बजे पूर्वाह्न को इन्होंने मुख्य दरवाजे के सामने किसी के आने-जाने की आवाज सुनी। इन्होंने तुरन्त मोर्चा सम्भाला और उन्हें ललकारा। अचानक इन पर 6-7 राउन्ड गोलियां चलाई गईं। इन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 राउन्ड गोलियां चलाईं और स्वचालित हथियारों से की गई भारी गोलीबारी का सामना किया। गोलीबारी के फलस्वरूप, एक घुसपैठिए को गोली लगी और वह बाद में मर गया। इन्होंने उग्रवादियों के हमले को भी रोका। गोलीबारी की आवाज सुनकर हवलदार जतिन पातोर, एल. एम. जी. के साथ अपनी बैरक से बाहर आए, वह आगे तक गए, एल. एम. जी. को फिट किया और उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं। इन्होंने जवानों के मोर्चे का निरीक्षण भी किया और मुठभेड़ के दौरान उनका मार्गदर्शन किया। श्री पातोर ने उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं और एक उग्रवादी को मार गिराया और इस प्रकार से उग्रवादियों को आगे बढ़ने से रोका। इसी बीच, कांस्टेबल अतीक रहमान बोरभुयां ने जवाबी कार्रवाई की और अपनी राइफल से गोलियां चलाईं लेकिन उनके शरीर के एक नाजुक हिस्से में गोली लगने से वे गिर पड़े लेकिन अंतिम सांस तक लड़ते रहे।

2. दूसरी तरफ, सहायक उप निरीक्षक (आपरेटर) पुतुल सैकिया और कान्स्टेबल (आपरेटर), जितेन फूकन, अपनी छोटी सी बैरक पर स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार का सामना करते हुए भूमिगत बंकर में, जहां एक वाकी-टाकी सैट रखा हुआ था। इन्होंने एक मिनट के भीतर पुलिस अधीक्षक, शिवसागर और बटालियन मुख्यालय से सम्पर्क किया और इस हमले के बारे में सूचना दी तथा कुमक भेजने का अनुरोध किया। इसके परिणामस्वरूप, घटनास्थल पर कुमक पहुंच गई। सर्व/श्री सैकिया और फूकन भी ट्रेंचों से होकर सीमा चौकी के अन्दर गए और जवानों को गोला-बारूद सप्लाई किया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री पुतुल सैकिया, सहायक उप निरीक्षक, जतिन पातोर, हवलदार और (दिवंगत) श्री ए. आर. बोरभुंया ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2-2-96 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं. 44-प्रेज/99—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री श्रीधर मण्डल,
उप पुलिस अधीक्षक,
पटना शहर ।

श्री तरणी प्रसाद यादव,
निरीक्षक,
गांधी मैदान पुलिस स्टेशन,
पटना ।

श्रीमती प्रतिभा सिन्हा,
उप निरीक्षक,
गांधी मैदान पुलिस स्टेशन,
पटना ।

श्री दुधेश्वर नाथ पाण्डे,
उप निरीक्षक,
गांधी मैदान पुलिस स्टेशन,
पटना ।

श्री सच्चिदानन्द सिंह,
उप निरीक्षक,
गांधी मैदान पुलिस स्टेशन,
पटना ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

28-10-1996 को लगभग 8.30 बजे श्री श्रीधर मण्डल, उप पुलिस अधीक्षक को मिथिला मोटर्स लेन स्थित एक मकान में डकैती डाले जाने की सूचना प्राप्त हुई । श्री मण्डल, श्री तरणी प्रसाद यादव और श्रीमती प्रतिभा सिन्हा के साथ घटनास्थल पर पहुंचे । इसी दौरान, उप निरीक्षक श्री. एन. पाण्डे और उप निरीक्षक सच्चिदानन्द सिंह भी वहां पहुंच गए । दोनों उप निरीक्षकों को उस, के बाईं ओर की ओर पोजिशन लेने के निर्देश दिया गया । श्री मण्डल, श्री यादव और श्रीमती सिन्हा टावर की ओर सावधानीपूर्वक गए । जैसे ही वे टावर के समीप पहुंचे, तीन टावर की सीढ़ियों पर खड़े 3-4 डाकुओं ने बमों के साथ पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया. तीनों पुलिस कार्मिक विस्फोटों से घायल हो गए । श्री मण्डल और श्री यादव ने डाकुओं को ललकारा लेकिन वे बम विस्फोट करते रहे और उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलियां भी चलाईं । श्री मण्डल, श्री यादव और श्रीमती सिन्हा ने डाकुओं पर गोलीबारी कर दी । इसके परिणामस्वरूप, डाकू भयभीत हो गए और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे । पुलिस गोलीबारी के बीच डाकू पश्चिमी दिशा की दीवार फांद कर भाग गए । वे भागते हुए पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाते रहे । सर्व/श्री पाण्डे और सिंह ने भागते हुए डाकुओं पर अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाना जारी रखा । पुलिस की गोलीबारी के परिणामस्वरूप दो डाकू गोली लगने से जख्मी हो गए और गम्भीर घावों के कारण गिर पड़े । तथापि, शेष डाकू टेढ़ी-मेढ़ी तंग गलियों का लाभ उठा कर भागने में सफल रहे । मारे गए डाकुओं की पहचान बाद में (क) राजू नेपाली और (ख) मन्नु कुमार उर्फ मनुआ के रूप में की गई । तलाशी के दौरान, सक्रिय/खाली कारतूसों सहित दो देशी पिस्तौलें, एक सोने का हार, सोने के कानों के दो बुन्दे और एक सोने की अंगूठी (जो मकान से लूटे गए थे) मारे गए डाकुओं से बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री श्रीधर मण्डल, उप पुलिस अधीक्षक, टी. पी. यादव, श्रीमती प्रतिभा सिन्हा, उप निरीक्षक, डी. एन. पाण्डे, उप निरीक्षक और सच्चिदानन्द सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28-10-96 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1999

सं. 4/1/एम पी एल ए डी सी/99—संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (लोक सभा) संबंधी समिति 22 फरवरी, 1999 से गठित कर दी गई है । इस समिति में निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया गया है :—

सभापति

1. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या
2. श्री प्रसन्ना आचार्य
3. श्री चंदू लाल अजमीरा
4. श्री तेजवीर सिंह चौधरी

5. श्री आर. एल. जालप्पा
6. श्री कमलनाथ
7. श्रीमती सुमित्रा महाजन
8. श्री हन्नान मोल्लाह
9. श्री आर. मुथैया
10. डा. उल्हास वासुदेव पाटील
11. श्री हरि केवल प्रसाद
12. श्री सी. पी. राधाकृष्णन
13. श्री वी. धी. राघवन
14. श्री दरोगा प्रसाद सरोज
15. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
16. श्री खारबेल स्वाईं
17. डा. (श्रीमती) प्रभा ठाकुर
18. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी
19. श्री मनसुखभाई वसावा
20. श्री मुकुल वासनिक

के. एल. नारंग, निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 1999

सं. एफ. 8-2/97-संस्कृत-2—केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड के गठन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 26 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या एफ. 7-2/97-संस्कृत-2 के सिलसिले में, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने डा. कर्ण सिंह संसद सदस्य (राज्य सभा) को केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड में विशेष अतिथि के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है।

आदेश

आदेश है कि इस अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश है कि यह अधिसूचना आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

सुमित बोस, संयुक्त सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 फरवरी 1999

संकल्प

सं. 10-3/96-इ. म. यो./रा. म. को.—राष्ट्रीय महिला कोष के नियमों तथा विनियमों के नियम 9 (1) के उपबन्धों के अनुसरण में तथा 24-2-98 के संकल्प सं. 10-3/96-इ. म. यो/रा. म. को. में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को 18-2-99 से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित करती है :—

1. सचिव
समाज कल्याण
हिमाचल प्रदेश सरकार

के स्थान पर

सचिव
समाज कल्याण
हरियाणा सरकार

2. सचिव
महिला एवं बाल विकास
राजस्थान सरकार

के स्थान पर

सचिव
समाज कल्याण तथा पोषाहार
योजना कार्यक्रम
तमिलनाडु सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति मंत्रीमण्डल सचिव, भारत सरकार; प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय; सचिव, समस्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन; सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नयी दिल्ली; अपर सचिव, बैंकिंग विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1; कोष के शासी निकाय के समस्त सदस्य; मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव; संयुक्त सचिव (म. वि.); वित्त सलाहकार (म. बा. वि.); संयुक्त सचिव (प्रशा.); आन्तरिक वित्त अनुभाग; कार्यकारी निदेशक, रा. म. को; को प्रेषित किया जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

सरोजिनी जी. ठाकुर, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd February 1999

No. 8-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri G. M. Gogoi
Sub-Inspector
P. S. Bharalumukh
Guwahati.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 20-12-1996 at about 2.00 P.M. information was received that some extremists had gone to the house of one Shri Mittal for extortion of huge amount. On this, police party headed by SI Gogoi was deputed for action. As the police party reached near the campus, the extremists opened fire on the police party and lobbed grenades, as a result Shri Gogoi sustained serious bullet injuries in his chest. Inspite of injuries, he retaliated in self defence. The other police personnel also fired at the extremists, as a result one of the extremists died on the spot. However, the other extremist died on way to Hospital. During search 2 pistols with 9 live rounds and two Hand Grenades were recovered.

In this encounter Shri G. M. Gogoi, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th December, 1996.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 9-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Name & Rank of the Officers

1. Shri Ram Babu Prasad,
   Sub-Inspector,
   Gaya Distt.

2. Shri Amit Kumar,
   Sub-Inspector,
   Tekari Thana.

3. Shri Sanjay Kumar Jha,
   Sub-Inspector,
   Tekari Thana.

4. Shri Alok Kumar Singh,
   Sub-Inspector,
   Tekari Thana.

5. Shri Kamal Narayan Singh,
   Sepoy,
   Tekari P.S.

6. Shri Vijay Chandra Choudhary,
   Constable,
   Distt. Armed Force.

7. Shri Vidhan Choudhary,
   Sepoy,
   Tekari P.S.

8. Shri Nirmal Kumar Singh,
   Sepoy,
   Tekari P.S.

9. Shri Sanjay Kumar Singh,
   Sepoy,
   Tekari P.S.

10. Shri Kalimullah Khan,
    Sepoy P.S.,
    Tekari P.S.

11. Shri Masiur Rahman,
    Sepoy,
    Tekari P.S.

12. Shri Prem Shankar Pd.,
    Sepoy,
    Tekari P.S.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night of 4-7-1996 SI Ram Babu Prasad got information that M.C.C. Area Commander Lal Mohan Yadav alias Natwar were camping in the areas of Alipur Police Picket and were planning to attack the police. SI Prasad alongwith SI Amit Kumar, Kamal Narayan Singh, Hari Bhushan Prasad and Kalimullah Khan, Constables rushed towards the place of hiding. The Police Forces available at the Alipur Picket, (including Vidhan Choudhary and Prem Shankar Prasad, Constables) also reached there. They immediately started search in Manikpur, Alampur, Barshima Mathiya Villages. At about 5.30 AM on 5-7-1996, when they were returning from Alipur Police Picket they saw about 50 armed extremists moving towards village Kespa Sarfaraz-Bigha Tola Tekua-Tand. On seeing the Police the extremists started firing. SI Ram Babu Prasad and SI Amit Kumar alongwith their men opened fire on the extremists. The extremists then split in two parties—one party comprising of about 10—12 extremists ran towards Tekua-Tand and the remaining extremists started retreating towards South while giving cover fire, in order to save the other group who escaped into village Tekua-Tand. SI Prasad directed SI Amit Kumar to surround Tekua-Tand from North-East direction. Shri Prasad alongwith his party engaged the remaining extremists. As a result, two extremists were shot dead. This broke the morale of the extremists and they started escaping in the South direction. Thereafter, Shri Prasad directed seven men to chase the fleeing extremists. He himself alongwith other personnel surrounded Tola Tekua-Tand from South-West direction. In the meanwhile, area commander Natwar alongwith his men made an effort to break the police cordon from North-East direction by opening heavy fire on the small police party led by SI Amit Kumar but they returned the fire and did not allow the extremists to escape. In the exchange of fire two extremists were killed. While about ten of them were surrounded by the police in the small Tola, they made concentrated efforts to break the police cordon by heavy firing. In the meantime, re-inforcements (including SI Alok Kumar Singh, Masiur Rahman, Sanjay Kumar Singh and Vijay Chandra Choudhary, Constables) reached the spot. To storm the village, two parties were formed—first led by SI R.B. Prasad and SI Amit Kumar alongwith Kamal Narayan Singh, Kalimullah Khan and Sanjay Kumar Singh, Constables and the second led by SI Alok Kumar Singh and SI Sanjay Kumar Jha alongwith Prem Shankar Prasad, Masiur Rahman, Vidhan Choudhary and V. C. Choudhary, Constables. Thereafter both the parties moved about 100 yards inside the village. The extremists fired at the police parties from two different houses. Both the parties took position around two houses and started firing on the extremists. The party led by SI Prasad and SI Amit Kumar alongwith other personnel stormed into the house and kept on firing at the extremists, as a result two extremists were shot dead. The second party led by SI Alok Kumar Singh and SI Sanjay Kumar Jha and party fired on the extremists. They faced heavy firing by the extremists, throwing all cautions to wind, SI Alok Kumar Singh and SI Sanjay with men ran into the house through the single door while firing in the dark house. This resulted in the death of both the extremists hiding in that house. In all, eight extremists were killed in the encounter, out of them six were later identified as (1) Lal Mohan Yadav alias Natwar, (2) Dr. Tulsi Paswan alias Pawanji, (3) Nepali Yadav, (4) Gulab Chand Yadav, (5) Kameshwar Yadav, and (6) Chandrika Choudhary. During search 1 Sten Gun, one .315 bore Rifles, 3 DBBL Guns, one country-made revolver, one Pipe Bomb (live), large quantity of live/empty cartridges and huge volume of extremists literature were recovered from the place of encounter. The dead extremists were involved in large number of heinous crimes.

In this encounter S/Shri R. B. Prasad, SI A. Kumar, SI S. K. Jha, SI A. K. Singh, SI K. N. Singh, Sepoy V. C. Choudhary, Const., V. Choudhary, Constable, N. K. Singh, Sepoy, S. K. Singh, Sepoy, K. Khan, Sepoy, M. Rahman, Sepoy and P. S. Prasad, Sepoy displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th July, 1996.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 10-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Name & Rank of the Officers
Shri Sunil Kumar, IPS,
Senior Supdt. of Police,
Patna.
Shri Arshad Zaman,
Dy. Supdt. of Police,
Danapur, Patna.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 22/23 April, 1997 Shri Sunil Kumar, SSP and Shri Arshad Zaman, Dy. SP were on night round in the extremist infested Paligang area. At abount 1.15 A.M. on receiving message of firing, they rushed to the spot and on reaching there, they found that heavily armed extremists had tried to ambush the police party of Sigori P.S. and after a fierce encounter with the police, they had fled away. Shri Sunil Kumar immediately blocked all possible escape routes and launched a combing operation to nab the extremists. One party was directed to surround village Noniachak, one party led by SP Rural was directed to block the escape route in the north-eastern direction towards villlage Sarkuna and Nawada. Another party led by ASP, Masaurhi was directed to block the escape of extremists from the eastern direction towards Village Indo across river Punpun. Shri Sunil Kumar alongwith Shri Arshad Zaman went to surround village Shobhanbigha. About 4.15 A.M., an encounter took place between extremists and police party led by ASP, Masaurhi as they reached the eastern periphery of village Indo. Shri Sunil Kumar was informed on wireless about the encounter. He directed the party led by SI R.K. Singh to rush towards Indo. When this party reached on the western side of the village, extremists from inside the village fired on it. The Police party fired back in self defence. Shri R.K. Singh informed Shri Sunil Kumar that extremists, under the cover of heavy firing were advancing towards village Gopipur. Shri Sunil Kumar and Shri Zaman alongwith their twelve policemen rushed towards village Gopipur. At about 5.45 A.M., when they reached the western bank of river Pungun, the extremists started firing from across the river. Shri Sunil Kumar immediately took lying position and challenged the extremists to surrender but they intensified their firing. Shri Kumar directed the party personnel to retaliate in self defence. The extremists after crossing the river took position on the uneven edges of river bank and the bushes. In order to get close and have better firing position, the party led by Shri Kumar started moving towards the hiding place. The police personnel returned the fire. The encounter lasted for more than one hour, thereafter firing from the extremists were recovered, out of them four were later identified as Lal Bihari Mochi, Lallt Manjhi, Lakhan Manjhi and Chenga Manjhi. The dead extremists were belonging to armed squad of the outlawed extremist organisation CPI (ML), who were involved in a series of massacres and attacks on police. One regular American Rifle, one looted .303 bore police Rifle, two regular rifles, two DBBL Guns and huge quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Sunil Kumar, SSP and Shri Arshad Zaman, DSP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd April, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 11-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the J&K Police :—

Name & Rank of the Officer
Shri Abdul Rasheed,
Head Constable,
13th Bn.,
JKAP.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24-1-1995, Shri Abdul Rasheed, Head Constable alongwith other police personnel was deputed on secret duty to Kangan. The party started for Gund Kangan in Truck of PCR, Srinagar. At about 1340 hrs. when the party reached village Theun, the truck was ambushed by a militants belonging to banned pro-pak outfit HM. Shri Rasheed immediately deployed his men tactfully to protect themselves as also to counter the attack. The militants who were on fortified positions on both sides of the road pinned down the police party team under a heavy volume of fire. The fire was returned in a controlled manner avoiding civilian casualities. Shri Rasheed was hit by a bullet on his right shoulder but despite sustained grievous injuries he provided leadership to the police party. Shri Rasheed was again hit by a brust of bullets on the upper right side of chest & Breathed his last. The exchange of fire resulted in the death of one dreaded militant of HM outfit with code name of Tiger Theune.

In this encounter Shri Abdul Rasheed, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th January, 1995.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 12-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the J&K Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Manohar Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Srinagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 7/8-1-1996, a reliable information about the presence of some of the most dreaded militants viz Bashir Ahmad @ Badshan Khan, Dy. Chief and Showket Ahmad @ Mushtaq Grenade deep in the Dal Lake, was received in the Special Operation Group HQrs., Srinagar. Shri Manohar Singh, Dy. SP (Ops), Srinagar launched operation on boats with a small contingent of Special Operation Group and CRPF personnel to apprehend the militants. Shri Singh while commanding the troops deployed his men in boats at strategic points and chose himself to lead from the front. Moment, Shri Singh stepped on the front of small wooden cabin in which the militants were hiding, they showered a volley of fire towards the officer, which missed him. In the ensuing fierce gun battle, Shri Singh without getting panicky and losing courage caught hold of a pole

of the cabin with left hand and using it as cover returned the fire single handedly, eliminating one of the militants on the spot. Meanwhile, the other militant continued firing from inside the hideout indiscriminately for about twenty minutes followed by hurling of three grenades. Luckily two of the grenades landed in the Dal Lake while as the third grenade exploded a few yards away from Shri Singh injuring him in the neck, right hand and right leg.

Sensing danger to the troops, Shri Singh who was bleeding jumped into the hideout firing with his rifle. The militant in an act of desperation tried to jump into the boat to escape while continuing firing on the officer, but was shot dead by Shri Singh in the process.

Both the slain militants were identified as Dy. Chief and District Commander of Pro-Pak Al-Umer Mujahideen outfit, involved in a large number of militancy related killings, extortions, kidnappings and rapes. From the scene of counter one AK Rifle, 3 magazines, 22 rounds and two walkie-talkie sets were recovered, whereas one AK rifle and one pistol which were being carried by the militant who attempted to escape were lost in the Dal Lake.

In this encounter Shri Manohar Singh, DSP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7th January, 1996.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 13-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal far Gallantry to the undermentioned officers of the J & K Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri Manmohan Singh,
Supdt. of Police,
Baramulla.

Shri Mustaq Ahmad,
Constable,
STF Baramulla.

Shri Sukhpal Singh,
Constable,
STF Baramulla.

Shri Jugal Kishore,
Constable,
STF Baramulla.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19th January, 1997 specific information was received by SP operations Baramulla that militants had taken shelter in Village Delina (Baramulla). An operation was launched with the Rashtriya Rifles to apprehend the militants. The outer cordon of the village was led by the RR by 4 hrs. SP (OPS) Man Mohan Singh with a small posse of men, immediately after the cordon was lad raided the house where the militants were hiding. The BSF personnel accompanying the SP (OPS) & his men stayed outside alongwith the contingent of the Rashtriya Rifles. The ground floor of the house were immediately searched. After sustained interrogation, one of the occupants of the house revealed that the militants were hiding on the third floor in the hay-stack. Shri Singh making use of a challenger mike asked the militants tot come down & surrender. Initially there was no reaction, but when a similar warning was given by the Army personnel surrounding the area, the militants opened fire indiscriminately. Shri Singh accompanied by S/Shri Mustaq Ahmad, Sukhpal Singh and Jugal Kishore, Constables did not loose courage and showed utmost composure in the adverse circumstances and Shri Singh continued to call upon the militants to surrender but militants directed some of their fire power on the ground floor, where SP operations and his men were trapped. Firing continued from both ends for nearly 1½ hrs. The militants soon realised that the ammunition was running short. One of them namely Gh. Nabi Ganai @ Nobera came down the steps, fired in an attempt to kill Shri Singh or any of his men. As a reflex action, Shri Singh who was in the forefront opened fire from his AK-47 and as a result G. Nabi Ganai @ Nobera was killed on spot. Finding one of their collegnues dead the militants lobbed grenades on the ground floor. Shri Singh alongwith the three constables stealthily moved up where the militants were hiding and reached upper storey. Taken by total surprise by the presence of these officials, Bashir Ahmed Bhat @ Ashraf tried to save his life by opening fire upon the party.

But the Police party instantly opened fire and killed him. Simultaneously the hay-stack caught fire. Shri Singh and his associates took their heels and ran out of the house. After the fire subsided, the charred body of Abdul Rehman Dar was recovered.

Two AK-47 rifles, 5 Magazines, 1 Wireless set, 60 rounds of AK and 200 empty cartridges of AK were recovered.

In this encounter S/Shri Manmohan Singh, SP, Mustaq Ahmad, Constable, Sukhpal Singh Constable and Jugal Kishore, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th January, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 14-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the J & K Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Daljit Singh, (Posthumous)
Sub-Inspector of Police,
District Poonch.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

During the interventing night of 29/30 May, 1997, it was learnt through reliable source that Pakistani trained militants of foreign origin were hiding in a house in village Faizalabad. On receipt of this information, a joint operation was planned alongwith 27 RR. The target area was got cordoned in the middle of the night with the help of 27 RR guided by STF personnel of J&K Police. The SP Poonch and a contigent of STF personnel headed by Sub-Inspector Daljit Singh joined the raiding exercise alongwith 27 RR personnel in the wee hours of 30-5-1997. The presence of Armed Militants was confirmed inside the said house and the militants were asked to come out of the house and surrender before the authorities. The militants started indiscriminate firing upon the raiding party. The forces retaliated in their defence. During this firing one dreaded militant of foreign origin was killed. Meanwhile, firing from inside the house stopped and the raiding party led by Shri Daljit Singh was deputed to conduct the search of the house. In the exercise of searching the house, the hiding militants abruptly opened fire on the search party and Shri Singh was hit on the chest. In critical condition, Shri Singh opened fire on the militants and prevented them from targetting the other members of the party. The other raiding party took control of the situation and in the meantime, Shri Singh succumbed to injuries even before being shifted to Hospital.

The arms and ammunition recovered from slain militants included one AK 56 Rifle, one Magazine AK 47, 18 Rds of AK 47, 11 Rds of 9MM and one broken Wireless set,

In this encounter late Shri Daljit Singh, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th May, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 15-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the J&K Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Ravinder Kumar, (Posthumous)
Constable.
S O G Thatri.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1-12-1997 at about 2345 hrs., reliable information was received that a group of heavily armed foreign mercenaries was camping in Khonpara Faagsoo area, of PP Thatri. On receipt of this information, a raid was organized during the night interventing 1/2 Decehmber, 1997. The group was divided into 3 small parties each consisting of 13-14 personnel. Constable Ravinder Kumar was in the group which was led by HC Bashir Ahmed. The other two parties were led by HC Chain Singh and Ex-serviceman Constable Kishori Lal. On reaching the area, the parties succeeded in trepping a group of 5 foreign mercenaries. A firece encounter ensued between the two sides. In the meanwhile, another group of militants which was hiding in the forests overlooking the site of encounters, opened fire with heavy weapons like UMGs & LMGs at the SOG parties. The SOG parties also opened heavy fire and succeeded in isolating and killing the self-styled district commander of Lashkar-e-Toiba militant outfit namely Abu Rehman, a resident of Afghanistan. Two other militants were also grievously injured in the encounter (one of these injured succumbed to his injuries). From the site of the encounter, the following arms/ammunition were recovered :—

Sniper Rifle —1 No.

Sniper Rifle Magazine—2 Nos.

Sniper Rifle Ammn.—100

Grenade—1

Chinese Pistol—1

Pistol Magazine—2

After operation, Shri Kumar and 20 personnel headed by PSI Kuljeet Kumar had to spend the night in the remote village of Khanpara. During the night, foreign militants, launched a sneak attack on the SOG Camp. At the time of attack, Shri Kumar alongwith 5 others were on duty. Shri Kumar faced the brunt of their attack who received a bullet injury in the night side of his chest and multiple injuries on other parts of his body. But he retaliated with his AK rifle, which kept the attackers at bay. The attack from the SOG finally made the militants to abandon their attack and beat a hasty retreat. Shri Kumar later succumbed to his injury.

In this encounter late Shri Ravinder Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st December, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 16-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the J & K Police:—

Name & Rank of the Officers
Shri S. M. Jangral,
Inspector,
(Posthumous)

Shri Abdul Gani,
Head Constable.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 20-10-1996 after receiving specific information about the presence of militants, Shri Jangral alongwith Head Constable Abdul Gani, Mohd. Ashan, SPO alongwith a platoon of CRPF cordoned the house of one Abdul Samad Khan at Puhroo, Pulwama at 0500 hrs. After verifying the presence of the militants in the house, the Inspector asked them to come out and surrender. Instead of surrendering, the militants opened fire on the Police and CRPF party. Shri Jangral ordered the party to return the fire. Since the militants were hiding in a built-up and fortified house, the raiding party had to approach it without any physical cover. Shri Jangral approached the house alongwith an SPO. The militants directed their fire at them, resulting in the death of the SPO. Shri Gani took position in front of his colleagues and bore the brunt of the firing. He was responsible for the gunning down the militant chota sikander (Pl. Commander HM). Shri Jangral re-organised his party, engaged the militants in return fire and called for reinforcements. Thereafter they entered the house and rescued the civillans who had been kept as hostages by the militants. In getting the hostages released, Shri Gani ultimately laid down his life.

In the operation, four militants were killed who were subsequently identified as Mohammed Ayub Mir @ Chota Sikander, Chota Sikander R/o Sursyar Plt. Commdr., HM, Saifullah and Ab. Rehman Teli. HM. Two AK rifles alongwith large quantity of ammunition were recovered from the site.

In this encounter, Shri S. M. Jangral, Inspector and late Shri Abdul Gani, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th October, 1996.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 17-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name & rank of the Officer
Shri Rampal Surajprasad Yadav,
Head Constable,
Nagpur City.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22-6-1997, SI, Kalaskar received information about the presence of Shrawan Uike and other gangsters alongwith a kidnapee in a house in Barakholi. SI, Kalaskar, HC Rampal and other police personnel rushed and surrounded the hinding place. Followed by HC Rampal, SI Kalaskar went upstairs and warned the gangsters to surrender. Instead, seven gangsters took out their weapons and threatened them to run away. Despite the threats, Shri Rampal went ahead to disarm Uike who in turn started firing on him. Shri Rampal received pellet injuries on left knee and thigh but inspite of that he pounced upon him and disarmed him. Thereafter, the police party arrested Uike and four others while two managed to escape. In further search, 6 large knives, one

spear head and one country made revolver were seized from the hide-out.

In this encounter Shri R. S. Yadav, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd June, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy
to the President

No. 18-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Y. Budhichandra Singh, (Posthumous)
Sub-Inspector of Police,
P. S. Lamlai,
Imphal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24-9-1997, Shri Y. Budhichandra Singh, Sub-Inspector alongwith his party while conducting search operation in the fields around Village Takhel were fired upon by the extremists. Fierce encounter took place between the police party and extremists. During the exchange of fire, Shri Singh himself chased the fleeing extremists who were fully armed. He managed to reach near them and pin them down. However, before he could get the support of his colleagues, he was hit by the bullets fired by the extremists and died on the spot. The extremists fled away on the hills and escaped under the cover of bushes.

In this encounter late Shri Y. B. Singh, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th September, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 19-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Tripura Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri Nepal Chandra Das, (Posthumous)
Rifleman,
P. S. Kanchanpur,
Tripura North.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 30-7-1997 at about 10.40 hours Shri N. C. Das alongwith 15 Tripura State Rifle personnel was travelling in a vehicle from Vangun towards Dasda on Vangun-Kanchanpur road. When they reached Nutunbari, a group of extremists suddenly fired on them with sophisticated weapons. In the attack, Shri Das was hit by a bullet and was greviously injured. Some bullets hit fuel barrel which caught fire, Shri Das also got burn injuries. Inspite of bullet injuries Shri Das fired from his LMG until he was further hit by the bullets. In the end he collapsed and breathed his last but before collapsing he fired 41 rounds from his LMG and kept the militants at bay and thus saved the lives of his colleagues. It was because of the brave action of Shri Das that other personnel could successfully repulse the extremists attack. Shri Das showed highest standard of courage and devotion to duties which resulted in saving the lives of his colleagues and weapons.

In this encounter late Shri N. C. Das, Rifleman, displayed consepicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th July, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 20-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Tripura Police :—

Name & Rank of the Officer

Shri A. B. Chakma, (Posthumous)
Deputy Supdt. of Police,
North Tripura.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 20-12 1996 at about 08.10 hours Shri Amal Bikash Chakma received information that extremists of National Liberation Front of Tripura (NLFT) had killed two bus passengers after kidnapping them from a bus at Maracherra. Shri Chakma immediately planned a counter offensive measure. He collected one platoon of Tripura State Rifles and himself headed the party. At Karaticherra, the convoy was attacked by the extremists with sophisticated weapons from both sides of the road. Shri Chakma retaliated with massive fire power and fought valiantly but paid the price with his supreme sacrifice. The exchange of fire continued for about 20—25 minutes. After firing was stopped, search was conducted and six dead bodies of police personnel were recovered. In the ambush the force did not loose a single weapon because of Shri Chakma's leadership and bravery in immediate retaliation.

Shri Chakma made a supreme sacrifice in the maintenance of the highest traditions of service.

In this encounter late Shri A. B. Chakma, Dy. Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th December, 1996.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 21-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name & Rank of the Officers

Shri Sant Ram,
Head-Constable,
69, Bn., BSF.

Shri Chander Kant,
Constable,
69, Bn., BSF.

Shri Anil Khan,
Constable,
69 Bn., BSF.

Shri Ram Bhagat,
Constable,
69 Bn., BSF.

Shri Shabir Hussain,
Constable,
69 Bn., BSF.

Shri Ramalu Gaur,
Constable,
69 Bn., BSF.

Shri Bhagwan Sahay,
Constable,
76 Bn., BSF.

Shri K. K. Singh,
Constable,
76 Bn., BSF.

Shri Mohd. Nazir,
Constable,
76 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 14th May, 1997 at about 12.00 hrs. an information was received that a group of militants belonging to Harkat-Ul-Ansar outfit were holding a meeting in the House of one Mohd. Aslam Dar in Village Sagripura Distt. A... J&K. A special operation was planned to nab the militants. As soon as the BSF party entered the village, they were confronted by heavy burst of fire. Thereafter, the party was divided into two groups. 1st party headed by Shri Butter, DC & IInd party led by Shri Rajiv Bhardwaj, AC. The troops cordoned the house and the militants were asked to surrender but there was no response. The house owner was called out. On interrogation, he informed that 5-6 militants from his house had moved to another house in the village. When the 1st party was moving to the other house they were pinned down by burst fire of militants from a double storeyed house. Meanwhile S/Shri Chander Kant and Bhagwan Sahay constables entered the house from which the militants were firing. Exchange of fire continued for some time. During encounter, the militants set the house on fire. The IInd party consisting of Shri Sant Ram, HC Harbans Singh and Narayan Singh Constables positioned in adjacent house and inflicted counter fire on militants and forced them to come out. At about 22:00 hrs., 4 militants were seen coming out from the house under the cover of darkness. Shri Chander Kant and Sahay jumped out of window and chased the fleeing militants. On return of cross firing, one bullet hit Shri Kant, Constable who was firing on militants. Despite serious injury Shri Kant kept on firing at fleeing militants. Meanwhile cordon parties led by Sarwan Singh Subedar Banka Ram, Head Constable, Ram Bhagat, Shabir Hussain and Ramalu Gaur gunned down three militants on the spot. One more militant was gunned down by the cordon consisting of Mohd. Nazir and Shri Singh. Thereafter, the injured Constable Shri Kant was evacuated by a rescue party. After some time two militants were seen coming out of the target house. Immediately, LMG group spotted and fired them. One of the militants was injured but they managed to escape. While searching, the BSF troops spotted two militants, they immediately fired and shot down them on the spot.

In all 5 militants were killed who were identified as Ustad Ahmed Ali R/o Peshawar (Pak), Yunush Bhat, Mohd. Sayeed R/o Nepal, Jalaluddin, Israr Bhat, Asif Beg.

The following arms and ammunition were recovered from the place of encounter :—

AK-47 rifle—1 No.
AK-56 rifle—4 Nos.
Pistol—4 Nos.
Grenade—2 Nos.
Bayonets—2 Nos.
Compass—2 Nos.
Mag. of AK-47—11 Nos.
Grenade Det—10 Nos.
Telescope
Binocular—1 No.

AK-47 rounds—180 Nos.
Pistol Rounds—17 Nos.
Mag. Pouches—4 Nos.
BNC plug of Radio Set—2 Nos.
Lead—4 Nos.
Torches—8 Nos.
Indian Currency—Rs. 2630/-
Pak Currency—Rs. 100/-

In this encounter S/Shri Sant Ram, HC, Chander Kant, Const., Anil Khan, Const., Ram Bhagat, Const. Shabir Hussain, Const., Ramalu Gaur, Const., Bhagwan Sahay, Const., K. K. Singh, Const. and Mohd. Nazir, Const. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th May, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 22-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name & Rank of Officers

Shri A. C. Thapliyal,
2nd Incharge,
69 Bn., BSF.

Shri Sabu Varghese,
Constable,
69 Bn., BSF.

Shri Nilesh Kumar,
Assistant Commandant,
69 Bn., BSF.

Shri Vijay Kumar
Constable,
69 Bn., BSF.

Shri Shesh Ram,
Head Constable,
69 Bn., BSF.

Shri Anupam Kumar,
Constable,
69 Bn., BSF.

Shri Narinder Pal (Posthumous)
Constable,
69 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 13-7-1997, on specific information about presence of militants at Village Rampura, Srinagar, Shri A. C. Thapliyal planned a cordon and search operation. The village was cordoned off at 03.30 hrs. Shri Nilesh Kumar, AC led a party to cordon the village. At about 05.30 hrs. the search party consisting 2 officers, 2 SOs and 19 ORs 69 Bn., BSF under overall command of Shri A. C. Thapliyal carried out search of the village and identified a house in which militants were hiding. At about 08.40 hrs. a delegation of leading residents of the village was sent to pursuade militants to surrender. But the militants refused to do so and started firing with automatic weapons on BSF troops which was retaliated. Later on Shri Nilesh Kumar also joined the search party. Shri Thapliyal, sited one LMG on the front window and brought down effective fire on the suspected house. The exchange of fire between militants and BSF troops continued. Sensing the gravity of the situation, Shri Thapliyal asked for RL det from Army. Shri Thapliyal moved from one place to another in the midst of heavy firing to brief the troops and read just their positions. Shri Kumar coordinated the fire of BSF troops from the occupied positions. At about 10.30 hrs., the militants set the house on fire and opened firing on

BSF troops from all directions. Shortly afterward, five militants were seen jumping out through the side window of the suspected house and started running towards paddy fields. Shri Nilesh Kumar fired with his personal weapon and alerted troops of the inner and outer cordon. BSF troops who were waiting for the militants to come out followed them. In the hot pursuit, Shri Narinder Pal detailed as stop with his LMG and Shri Sabu Varghese, Constable came face to face with the militants. The militants fired on them and as a result they sustained bullet injuries. Despite being injured, they kept on firing injuring two militants. Shri Kumar with utter disregard to his personal safety and life chased the fleeing militants with his troops and gunned down one militant. When the other militant came in the killing ground of the outer cordon, Shri Shish Ram, Head Constable fired at the militant and injured him further. The militant despite injuries fired at Shri Ram. Shri Shish Ram not only saved himself, but gunned down the militant from close range. Two more militants were trying to escape from the other side, where BSF troops were alert and waiting for the militants. When the two militants tried to open fire on the troops they were gunned down by Shri Vijay Kumar, Constable and Shri Anupam Kumar, Constable. Injured later succumbed to injuries. On search of the area, a huge quantity of arms/amn including 4 AK 56 Rifles, 6 Mag of AK Series, 60 Amn of AK Series, 4 Mag pauches, 1 Wrist Watch (Richo) and Rs. 60/- Indian currency were found.

In this encounter A C Thaplival, 2nd Incharge, Nilesh Kumar, Asstt. Commdt, Shri Shish Ram HC, late Shri Narinder Pal, Constable, Shri Sabu Varghese, Constable, Shri Vijay Kumar, Constable and Shri Anupam Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th July, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 23-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name & Rank of the Officer (Posthumous)

Shri Ramdin Kachhi,
Constable,
96 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 1-7-1997 on receipt of information about presence of militants in village Sarhota, Distt. Rajouri, the whole area was cordoned by three service Coys of 96 Bn., BSF. Two search parties started searching houses from Loonpal Top downwards. When search party No. 2 reached the third dhok in village Sarhota, Shri Ramdin Kachhi, Constable who was the scout, moved cautiously to check the dhok which had two portions, one for residential and other being used as cattleshed. After the residential portion was checked, search party moved towards the cattleshed of the dhok but some movement was observed inside the cattleshed. Shri Ramdin who was in the front took position and asked the occupants of the dhok to come out. Finding no response. Shri Ramdin moved slowly and challenged them. Immediately on being challanged, a volley of bullets of UMG was fired by the militants which hit Shri Ramdin on his mouth, chin and leg. Shri Ramdin fell on his knees, alerted search party and simultaneously fired with his personal weapon. In the meantime, the other members of search party also retaliated the fire. Notwithstanding injuries/personal safety Shri Ramdin fought gallantry and continued firing on militants. But the militants again lobbed two hand grenades which landed just outside the door of cattleshed and exploded. The splinters of the grenade pierced through the rear side of Shri Ramdin's body and head who succumbed to his injuries on the spot. During the search of dhok, dead bodies of 3 militants of Pak were recovered alongwith following arms/amn :—

(a) UMG—1 No.
(b) AK-56 Rifle—1 No.
(c) Pistol—2 Nos.
(d) AK-56 Magazine—4 Nos.
(e) Pistol Magazine—3 Nos.
(f) Amn of various types—273 Rds.
(g) Grenade—2 Nos.
(h) Hand Held Radio set—2 Nos.
(i) Antenna of Radio set—2 Nos.

In this encounter late Shri Ramdin Kachhi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st July, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 24-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal/Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name & Rank of the Officers (Posthumous)

Shri Vinod Koul,
Constable,
200 Bn., BSF.
PM for Gallantry

Shri B. N. Kabu,
Addl. Dy. Inspector General,
SHQ ISD-II, BSF.
Bar to PM for Gallantry

Shri Kartar Singh,
Deputy Commandant,
200 Bn., BSF.
PM for Gallantry

Shri Jagat Singh,
Head Constable,
48 Bn., BSF.
PM for Gallantry

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 6-11-1997 at about 15.45 hrs., on a specific information about presence of militants in area FIRDOUS COLONY, SOURA, Srinagar, Shri B. N. Kabu, Addl. Dt. Inspector General planned a special operation to nab the militants. At about 16.45 hrs. a cordon was laid around the area by troops of 24, 48, 89 and 200 BSF. After having laid the cordon Shri Vinod Koul, the leading scout of one search party while approaching in one of the houses aiacent to the target house, spotted a militant. He challenged the militant to surrender but in turn the militant fired a burst from AK rifle resulting one bullet hitting his forehead. Even being hit, Shri Koul in retaliation fired from his rifle and injured the militant. Shri Koul was immediately evacuated to Shera-Kashmir Institute of Medical Science, SGR where he succumbed to injuries. In the meantime, Shri B. N. Kabu also reached the spot and took over the command of the operation. He, after placing troops at appropriate places decided to take further action only in the morning due to darkness and presence of the civilians in surrounding houses. On 7-11-1997 at about 07.00 hrs. one of the search party which included Shri Jagat Singh, Head Constable while advancing towards the target house came under fire of the

militants in which Shri Ram Avtar, Constable was hit by a bullet in his left leg. Shri Ram Avtar inspite of bullet injuries fired back and also located a militant hiding under a car inside the garrage. Shri Jagat Singh kept the militant engaged with his fire. Shri Kabu immediately directed evacuation of the injured Shri Ram Avtar and moved in bunker under heavy volume of fire near gate of the garrage just 8 to 10 feet from the militant's hide out and directed the operation. Before firing Shri Kabu warned the militants to surrender. Instead of surrendering the militants lobbed grenades one towards the bunker vehicle in which Shri Kabu was directing the operation and another towards one of the search party but there was no damage. Shri Kartar Singh, DC manning one of the LMG posts adjacent to the target house and Shri Jagat Singh one of the member of the search party, at the risk of their own lives moved under heavy volume of fire and lobbed grenades inside the garrage and the car lying inside caught fire. After the car caught fire the militant was seen moving and coming out from underneath the car and got eliminated.

Shri Kabu after placing all troops at appropriate places, once again warned the militants to surrender but the militants opened heavy fire which was retaliated resulting in a fierce encounter. Shri Kabu himself moved from one house to another under heavy volume of fire and risking his own life directing each party to fire and lob grenades on the target house. Shri Kartar Singh again moved from his location under heavy volume of fire very close to the window of the house and lobbed two grenades inside the house. The house caught fire due to explosion of cooking gas cylinders. Immediately two militants were seen jumping out from the window. Before they could fire on the troops they were engaged and eliminated. On 8-11-1997, the house was searched and burnt dead body of the militant and the arms/amn was recovered which included four AK 47 rifles, one 9 mm Pistol, 14 AK Magazines, One Pistol Magazine, 96 rds. AK 56 Amn and 9 mm Amn.

In this encounter late Shri Vinod Koul, Constable, Shri B. M. Kabu, Addl. DIG, Shri Kartar Singh, Dy. Comdt. and Shri Jagat Singh, Head Clerk displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from the 6th November, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 25-Pres/99.—The President is pleased ot award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name & Rank of the Officers

Shri G. P. S. Virk,
Assistant Commandant,
9 Bn., BSF.

Shri Ranbir Singh
Constable,
9 Bn., BSF.

Shri Arun Kumar,
Constable,
24 Bn., BSF.

Shri Chur Chand,
Constable,
24 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 7-4-1997 at about 10.45 hrs. some militants opened fire from graveyard area in front of Islamiya College, Hawal, (J&K) towards bunker No. 4 of BSF. Immediately, the sentry present in the bunker retaliated in self defence and also informed Coy HQrs through wireless. Simultaneously, about 1110 hrs., Shri Arun Kumar, Constable on sentry duty observed that civilians coming from Sangeen Gate side in suspicious circumstances. When they were about 100 yards from bunker, the sentry noticed the barrel of a rifle protruding out of their faren. On the orders of the Post Comdr, the sentry fired with his rifle on the militants. The militants taking advantage of built up area succeeded in entering a house and started firing with UMG and automatic weapons. Immediately, the house was cordoned. On hearing the sound of firing, Shri G. P. S. Virk, AC with his troops including Shri Ranbir Singh, Constable, rushed to the PO. Shri Virk took position and directed B. P. Vehicle to move nearer to graveyard and fired with LMG mounted on the bunker vehicle to engage the militants. Simultaneously, Shri Virk alongwith Shri Ranbir Singh adopted fire and move tactics and succeeded in getting closer to the militants. There was a heavy exchange of fire. Shri Virk engaged the UMG with his assault rifle and directed Shri Ranbir Singh to immediately move forward. By doing so, Constable Ranbir Singh received a few bullets fired by militants on his BP Jacket from the UMG but he succeeded in injuring the militant who was holding the dreaded weapon. This led to neutralisation of UMG of the militants and they started fleeing from the spot. One of the militants tried to escape through narrow lane and got killed by the chasing party. However, 2 militants who were injured kept on running towards Hawal. Shri Virk alongwith his troops followed the blood trail and located the house in which the militants took shelter. On seeing BSF troops, the militants started firing on BSF troops. At this stage, troops of 24 Bn., BSF also reached the spot and laid a cordon from western side. Shri Virk alongwith Shri Ranbir Singh, Shri Kalyan Roy and Shri Chur Chand entered the house. Both the militants opened heavy volume of fire from automatic weapons. Shri Virk with his party rushed into the ground floor of the house and killed one militant on the spot. However, the other militant who had taken refuge in the second floor continued to fire on the troops. Shri Virk alongwith his troops taking cover of the stairs and walls rushed towards second floor and succeeded in killing the militant. In this operation four militants belonging to Harkat-Ul-Ansar outfit were killed and recovered arms/Amn which include 1 UMG, 4 Rifle AK Series, 1 UMG Drum type Mag, 1 Rocket Launcher, 12 Mfag AK Series, 1 Rifle grenade discharge cup, 1 Electric detonator, 198 AK Series amn, 24 EFCs AK Series and 2 Cleaning Kit Box AK Series.

In this encounter Shri G. P. S. Virk, Asstt. Comdt., Shri Ranbir, Singh, Constable, Shri Arun Kumar, Constable and Shri Chur Chand, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th April, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy.
to the President

No. 26-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name & Rank of the Officers

Shri R. Siddiah,
Lance Naik,
104 Bn., BSF.

Shri Rishipal Singh,
Constable,
104 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 23-9-1997 at about 0845 hrs. one vehicle of Assam Rifles was ambushed in Belchera BOP by the militants in which one JCO, one NCO, four jawans of Assam Rifles and two civilian drivers of the vehicle were killed. On hearing of sound of firing. L/NK Siddiah being OP party Comdr. Belchera appreciated the situation, split his party in two

groups and organised an opportunity ambush to trap the militants. He himself headed one of the groups alongwith Constable Madan Gopal and second group consisting of Constable Rishipal Singh and Constable K. Settu took position in such a manner that the entire area of paddy field was under effective dominance by fire and observation of the two parties.

At about 09.05 hrs. the BSF ambush observed 4 armed personnel wearing OG uniform coming towards them through the paddy fields. LNK Siddiah had placed his men under cover in two groups observing the track through which the militants had to pass to reach the Bangladesh border. LNK Siddiah held his fire and when the militants were well within his range, blew his whistle and the two BSF groups opened fire simultaneously. Two of the militants were hit but two took position and returned the fire. LNK Siddiah and the second group headed by CT Rishipal Singh then carefully advanced taking advantage of cover and managed to come on one flank of the two militants who had taken position. They succeeded in shooting these two militants also. The arms/amn recovered included 2 SLRs, 4 Mags, 70 Rds Live amn, 1 AK 56 Rifle, 2 AK 56 Mags, 8 AK 56 Live amn and 1 Carbine Machine.

In this encounter S/Shri R. Siddiah, Lance Naik and Rishipal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd September, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 27-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name & Rank of the Officers

Shri R. P. Joon,
Sub-Inspector,
67 Bn., CRPF.

Shri T. P. Singh,
Constable,
67 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1-3-1997, Commandant, of 67 Bn., CRPF was to visit F/67 Bn., CRPF stationed at Zoujantek, Manipur to disburse pay & allowances to coy personnel. Accordingly, one platoon under command of Shri Joon was detailed to perform ROP duty. Shri T. P. Singh, Constable was detailed scout No. 1. When the leading section was advancing through Ngatain Basti, all of a sudden, the party came under heavy firing from the right side of the hillock. Shri Singh immediately returned the fire. Shri Joon, party Commander immediately took stock of the situation and ordered to fire H. E. Bomb. The exchange of firing continued for about 10 to 15 minutes. Due to effective firing militants suffered heavy set back and started withdrawing, but Shri Singh without caring, continued to advance to chase the militants and succeeded in hitting one militant. The other fleeing militants continued firing while running but accurate firing by 2" Mortar demoralised the strong group of militants. The killed militant was identified as Kachamthai Kamel, an active member of NSCN. One AK rifle with 3 magazines, 9 mm chinese pistol was recovered from the site.

In this encounter S/Shri R. P. Joon, Sub-Inspector, T. P. Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st March, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 28-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of the Central Reserve Police Force :—

Name & Rank of the Officers

Shri Sube Singh,
Head Constable,
65 Bn., CRPF.

Shri Bishnu Prasad,
Constable,
65 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3-10-1996 afternoon, one section of CRPF under Command of Shri Sube Singh, Head Constable was deployed at ward on the first floor of the J. N. Hospital. Shri Singh placed the above guard tactically positioning himself alongwith Shri Bishnu Prasad, Constable and Shri Hakim Singh, Constable on the front side, whereas Shri Om Prakash, LNK alongwith Shri Haribhan, Constable and Shri Sanjay Kumar Singh, Constable were positioned on the rear side of the ward. Shri Pancham Lal, Constable and Shri R. P. Tripathi, Constable were positioned inside the ward near a unit patient.

At about 1700 hrs, Shri Hakim Singh went towards the urinal inside the gallery, where Shri Sube Singh, Head Constable and Shri Bishnu Prasad were on duty. During this short interval, three PREPAK extremists armed with pistols/revolvers and hand grenades concealed under their cloths, posing as the relatives of the Police personnel, approached the ward through steps. Another group of extremists positioned itself on the rear side of the ward, in the deserted area behind the boundary wall, posing as ordinary civilians.

The first group of extremists when approached the passage infront of the ward, finding guard alert lost their balance and lobbed a grenade towards the guard and simultaneously all the three of them opened fire with pistols/revolvers on Shri Sube Singh and Shri Bishnu Prasad. The attack of undergrounds on the front side was supported by heavy fire by the group of undergrounds on the rear side.

Contrary to the expectation of the undergrounds, Shri Sube Singh and Shri Bishnu Prasad, retaliated despite being injured in the grenade attack. They returned the fire laying in the pool of their own blood and not only forced the extremists to flee, but in the process one dreaded PREPAK extremist namely Thoudam Dinesh alias Punisnice, Alias Romesh S/o Shri Th. Ibopishak was also killed and his .88 bore foreign make revolver alongwith four fired cases was captured.

The above act of Shri Sube Singh, Head Constable and Shri Bishnu Prasad, Constable was supported by the guard on the rear, by retaliating with heavy fire on the group of extremists firing from the back side, forcing them to retreat without causing any damage to the rear guard. Shri Sube Singh and Shri Bishnu Prasad were also supported by Shri Hakim Singh who rushed to the aid of his party, forcing the undergrounds to flee from the scene.

In this encounter S/Shri Sube Singh, Head Constable and Bishnu Prasad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd October, 1996.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President

No. 29-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name & Rank of the Officer

Shri Anil Kumar
Constable (Driver),
132 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 23-6-1997 a CRPF party, while on patrolling duty, was ambushed by militants at Daldali, Karbianglong District, Assam at 7.55 A.M. As a result, the Officer-in-Commapd and 3 other police personnel in the first vehicle were killed on the spot and Driver Anil Kumar of the said vehicle also sustained two bullet injuries. Despite bullet injuries, Shri Kumar continued to drive his vehicle with presence of mind inspite of continuous heavy firing by the militants. Sensing the presence of another group of militants ahead on the main road, Shri Kumar skillfully diverted his vehicle into a nearby Kacha track towards Daldali Railway Station. This continuous driving by Shri Kumar in the face of heavy firing by the militants and timely diversion of his vehicle to the other way, gave a strong covering to the second vehicle wherein 12 police personnel were seated and they all escaped any injury. On reaching Daldali railway station, Shri Kumar inspite of his precarious condition, due to heavy bleeding lost no time in taking into possession all weapons from the killed personnel and simultaneously he alerted the railway staff for follow up action.

In this encounter Shri Anil Kumar, Constable (Driver) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd June, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 30-Pres/99.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of the Central Reserve Police Force :—

Name & Rank of Officer

Shri C. R. Mandal,
Head Constable,
10th Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-8-1997, a convoy of three vehicles i.e. two Gypsies and one Jeep of 10th Bn., CRPF carrying two GOs, one SO and eleven ORs (including Comdt. 10th Bn.) were returning from Dibrugarh airport after receiving Shri R. Tomar, Comdt. and proceeding to Unit HQrs Khonsa (ACP). At about 1730 Hrs, when the convoy was 7 Kms short to Joypur (Dibrugarh) it came under heavy fire of sophisticated weapons by ULFA militants. The drivers and two other personnel in the leading vehicle got bullet injuries and the jeep fell in a ditch after its tyre was defaulted due to bullet hit. In the second vehicle, Shri R. Tomar, Comdt. got bullet injuries and the vehicle stopped taking cover of a hillock and all persons immediately jumped out of the vehicle before it caught fire from the blast. In the third vehicle three personnel died on the spot and the driver and Shri Om Pal Singh, D/C got injured. In the above incident three personnel died on the spot and one person died thereafter. Seven persons including Shri R. Tomar, Comdt., Shri Om Pal Singh, D/C and Baby Sweta Tomar sustained severe injuries. The fire from militants continued for about fifteen minutes. During the attack of militants, Shri C. R. Mandal, HC who was in the leading vehicle immediately jumped out and started firing from his SLR towards the extremists. When his SLR stopped firing due to gas defect, he immediately took 51 MM Mortar from Shri Bhusan Kumar and fired 3 Bombs effectively towards the extremists and this forced them to retreat and flee. As a result, the lives of personnel in the second and the third vehicle of the convoy including Comdt. could be saved and loss to Arms/amn and Govt. property prevented. He also showed prompt and active action in shifting the injured to Community Health, Deomali and further to Assam Medical College Dibrugarh.

2. The following items were recovered from the militants :

(1) Empty cases of AK series—05
(2) Live cartridges AK series—03
(3) Walkie-Talkie antenna—01
(4) Empty Cases of AK series—14 rds.
(5) Live amn of AK series—06 rds.
(6) Plastic containers of the Mortar shells—03 pcs.
(7) One misfired RPG shell—02
(8) Empty magazine (AK-47 Rifle in burnt condition)—02
(9) One half burnt AK-47 Rifle. One magazine with 30 rds.

In this encounter Shri C. R. Mandal, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th August, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 31-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of the Central Reserve Police Force :—

Name & Rank of the Officer

Shri R. M. Pandey, (Posthumous)
Constable/Driver,
C.R.P.F.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 8-11-1997 at about 2030 hrs. 4 Scooter born miscreants with arms came on the house (under construction) of Shri S. K. Tyagi of village Khoda, Noida and started firing with the intention to kill. On this, Mr. Tyagi and his servant shouted for help and tried to hide themselves. Hearing their hue and cry alongwith the neighbours, Constable Pandey in adjoining Camp of CRPF rushed to the spot to save them. In the meantime, criminals fired resulting in multiple injuries to Shri Tyagi. Meanwhile Constable Pandey reached the spot and tried to overpower one of the criminals with pistol. To avoid the grip, the criminal took to his heels along with others but were chased. Constable Pandey ultimately succeeded to overpower of the criminals near the place where others were waiting to flee on Scooters. Finding no alternative, the other miscreants fired on Shri Pandey from point blank range as a result of which Mr. Pandey collapsed and later on succumbed to his injuries. The criminals then managed to escape. By making supreme sacrifice of his life, Constable/Driver Pandey saved other lives.

In this encounter Shri R. M. Pandey, Constable/Driver displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th November, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 32-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of the Indo Tibetan Border Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri Raj Kumar, (Posthumous)
Inspector,
19th Bn., ITBP.

Shri Shamsher Singh,
Constable,
19th Bn., ITBP.

Shri Mohinder Singh,
Constable,
19th Bn., ITBP.

Shri Girdhar Joshi,
Constable,
19th Bn., ITPB.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 4-5-1997, Shri Jashod Ram Asstt. Comdt. received specific information about the presence of militants in the house of village Wangam. The police party cordoned the area, and Shri Raj Kumar and others started house to house search. When the party approached the marked house, they received a volley of fire from the militants. The fire returned by Shri Raj Kumar and party on the hide out of the militant. In the meantime militants threw 4 sophisticated grenades towards constable Shamsher Singh, who in turn threw them back towards the militants. Inspector Raj Kumar gave covering fire to withdraw Shri Shamsher Singh but Shri Singh received bullet in his left hand. When Constable Mohinder Singh kept on firing on the 4 militants who came from different directions, received bullet injury on his right hand but managed to crawl to a safer place. Since the firing place of the terrorists was built up house, the retaliatory fire of ITBP troops was not effect. Hence, Inspector Raj Kumar planned to enter the house with the party to nab the terrorists. On the verge of a break through Inspector Raj Kumar was hit by spray of bullets. But the fire was returned by Shri Raj Kumar. More shots were fired by militants and thus Raj Kumar succummoed to grave injuries.

Asstt. Commandant Jashod Ram informed the Commandant about the evacuation of Constable Mohinder Pal who smashed to the site of encounter with reinforcement. Inspite of repeated warnings, militants kept on firing at the police. To counter their firing, force was redeployed on the roof of the building. In the meanwhile, other Constable crawled towards injured Constable Mohinder Singh neutralised the terrorists fire, and evacuated Const. Pal.

On 5th May, 1997, the militants set the house on fire in which they hiding. On repeated warning to the militants and the occupants of the house to come out, 3 girls and their mother, alongwith a militant came near the main door. Shri Joshi who was standing by the side of a wall, fired to peep inside the room and in the process collided with the militant. Shri Girdhar, reacting swiftly grappled with the militant. Firing was not possible because the bridge-block of his rifle fell down. But Shri Joshi, tightly caught hold of the militant and fell down alongwith the militant who, started thrashing Shri Joshi with rifle butt. When the militant got himself freed, he was chased and killed by other constables. Two more dead bodies of militants alongwith 2 Nos. of AK-56 were retrieved from the gutted house. The 3 killed militants were later on identified as Khalid Juber, Milt Babar Siddiqie and Milt Arshad Hussain having affiliation with a dreaded militant organisation. The following arms and ammunition were recovered from the site of encounter :—

3 AK 56 Rifle
8 Magazine AK 56 rifle
1 Wireless set
2 Hand Grenade Pak made
61 RDS Ammunition AK 56

In this encounter late Shri Raj Kumar, Inspector, Shri Shamsher Singh, Constable, Shri Mohinder Singh, Constable and Shri Girdhar Joshi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th May, 1997.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 33-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of the Indo Tibetan Border Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri Kuldeep Singh,
Head Constable,
19th Bn., ITBP.

Shri Basant Singh,
Constable,
19th Bn., ITBP.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 15-1-1998 Asstt. Commandant of 19th Bn., received information that militants were present in village Gaoran. He immediately planned a cordon and search operation. In the first instance, all escape routes were sealed to stop the flight of militants. S/Shri Kuldeep Singh and Basant Singh were assigned covering one of the escape routes. Suddenly they noticed three militants advancing towards them. S/Shri Kuldeep Singh and Basant Singh moved ahead and took up the position closely. But the militants resorted to indiscriminate firing. Though the weather was bad, both the Constables kept moving and challenged them to surrender. But the militants opened fire in which Shri Kuldeep Singh received injuries. However in disregard to his personal safety Kuldeep Singh directed Basant to open LMG fire and continued to firing with his SLR. The exchange of fire resulted in the death of one militant while the other two took advantage of bad weather conditions and escaped. The dead militant was later identified as Abdul Rashid Mohhand S/o Gulam Ahmad Mohhand. A large quantity of arms and ammunition including one AK-56 rifle, 3 magazines, 60 live rounds, 1 HE among other articles were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Kuldeep Singh, Head Constable and Shri Basant Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th January, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 34-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of the Indo Tibetan Border Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri Vijaypal Singh,
Head Constable,
24 Bn., ITBP.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 22-4-1998 reliable information was received that the dreaded and most wanted militant Habibulla, a Pak national belonging to the H. M. Outfit, was taking refuge alongwith his accomplices in a house in Vering, Anantnag (J&K). His fanatic deeds were nefarious and embeded deep rooted fear among the local population. 24 Bn., ITB Police planned and launchd cordon and search operation in order to apprehend the hardcore mercenary who had been eluding the security forces for a very long-time.

ITBP troops, led by Vijaypal Singh, Head Constable suffered from the disadvantage of the situation. The ANEs were inside a concrete house which provided them a strong defence. As against it, the troops were totally exposed, being in the open. But Shri Singh did not allow himself to be disheartened. He encouraged his comrades-in-arms to bravely forge ahead, while he led them from the front. The militants opened heavy fire to overawe them and check their advance. But, Shri Singh coolly kept moving tactically ahead, and finally succeeded in securing the house adjacent to the militants, gaining a dominant position. At this, the ANEs lost nerve and resorted to indiscriminate firing at this house. Shri Singh mounted a benefitting retaliatory attack on them and killed Habibulla.

Arms/Amn recovered included one AK-56 Rfle attd rocket launcher-1, Rocket-5, AK-56 Mag-3, AK-56 Amn 35 Rds and 23 empty cases Yaseu 24 FM trans-receiver FT-23-1, Transistor-9, Band Sony-1, Afganis-1000 and Indian currency Rs. 185/-.

In this encounter Shri Vijay Pal Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd April, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 35-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of the Railway Protection Force : —

Name & Rank of the Officers

Shri A. Humayun Kabir, (Posthumous)
Constable, RPF.
Madras Division,
Southern Railway.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 3rd May, 1991, Constable A. Humanyun Kabir apprehended Easan, a ticketless traveller. On being searched, Easan whiped out a Pistol and threatened to shoot Ticket Examiner Shri Samidurai, Constable Kabir and others. To check his escape, Constable Kabir ran and bolted the door from outside. But on being threatened by Easan to shoot others who were present in the room, Constable Kabir opened the door and jumped upon Easan to disarm him. Finding no alternative to get himself freed, Easan shot at Constable Kabir and managed to escape but was nabbed later on. Constable Kabir succumbed to his injuries in the hospital.

Constable A. Humayun Kabir made supreme sacrifice of his life displaying rare act of valour and sense of duty in saving others from gunwielding criminal Easan.

In this encounter late Shri A. H. Kabir, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd May, 1991.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 36-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of the Central Reserve Police Force :—

Name & Rank of the Officers

Shri U. R. Rameshwaram,
Sub-Inspector,
52 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

One Platoon under the command of Shri U. R. Rameshwaram was deployed at the UCO Bank, Bishnupur (Manipur) for bank security duties. On 7-5-1998 around 1230 hrs., a group of UGs armed with sophisticated weapons opened fire from a close range on the security guards at the road side main entrance of the bank building. As a result, one Constable died on the spot and another Guard Commander was seriously injured. On hearing the sound of firing, Shri Rameshwaram rushed to the spot. While going down, he fired 3-4 bursts from the stairs on the UGs, who were firing with their arms at the guard commander and in the cross firing he shot dead one UG on the spot was trying to snatch away the SLR of the killed Constable. At this, the other UGs made a hasty escape from the scene leaving behind their dead colleague.

One Chinese made 9 mm pistol with 14 live rounds and primed No. 36 HE Hand Grenade were recovered from the killed UG.

In this encounter Shri U. R. Rameshwaram, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th May, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 37-Pres/99.—The President is pleased to award the Bar Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of the Jammu & Kashmir Police :—

Name & Rank of the Officers

Shri Gulbadan Singh, (Posthumous)
Dy. Supdt. of Police (OPS),
Kupwara.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 12-5-1998 on receipt of information, Shri G. B. Singh, DSP, accompanied by his men conducted a raid in Gulgam forest area where some foreign mercenaries were reportedly staying in a hideout. While the cordon was in progress, the mercenaries opened indiscriminate fire from their sophisticated weapons at the police party. Shri Singh and others without caring for their personal safety advanced towards the holed up foreign mercenaries to locate the exact position of militants inspite of being heavily fired upon. Shri Singh returned the fire with one hand, asked his bodyguard to handover a grenade rifle to him for lobbing the grenades, to dislocate and destroy the hide-out of the mercenaries. While Shri Singh fighting with the foreign mercenaries, received a bullet in his head and was seriously injured and later succumbed to his injuries. In the process two foreign mercenaries were killed and following arms and ammunitions were recovered from the place of encounter :—

(1) AK-47 rifles—02 Nos.
(2) AK-47 rifle Magazine—07 Nos.
(3) AK-47 rifle ammunition—137 Rounds
(4) Pistol Chinese—01 No.
(5) Pistol Magazines—03 Nos.
(6) Pistol rounds—16 Rounds
(7) Radio Set (damaged)—01 No.

In this encounter late Shri Gulbadan Singh, Dy. Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th May, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 38-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

Name & Rank of the Officers

Shri D. S. Sagi,
2 I/C,
4th Bn., BSF.,

Shri Ram Sevak,
Deputy Commandant,
4th Bn., BSF.,

Shri Munna Lal,
L/NK,
4th Bn., BSF.,

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 30-1-1998 an information was received by Shri D. S. Sagi 2 IC about the insurgents group having a meeting in village Karalpora. At about 1845 hrs, Shri R. L. Kanwar, and Mathan Singh, Subedar who were part of the surveillance party stopped a person moving suspiciously near a market place. Suddenly, they managed to get this suspect before he could pull out his pistol and fire on them. He was quickly disarmed by them and was identified as Gulam Hussain Lone, Div Comdr of HM outfit. On interrogation he informed that some insurgents were present in the house of Mohd. Yasin Malik. Shri Sagi, taking Ram Sewak Dy. Comdt., R. L. Kanwar Subedar, Mathan Singh, Subedar, Munna Lal, L/NK and Subhash Chander, Constable promptly cordoned the house and thereafter Shri Sagi and Chand decided to enter the house. When Shri Chand tried to enter the door he was fired by a volley of bullets. When Shri Sagi tried to fire, a bullet hit on the front hand guard and gas cylinder of his rifle. Militant hiding in the said house opened fire on police party and the police party retaliated. A fierce encounter took place. Shri Ram Sewak and Munna Lal managed to open a window and entered into the house. Advancing from the room cautiously throwing grenades into each room, Ram Sewak and Munna Lal managed to virtually confront the insurgents inside. On search, two dead bodies were found inside the house and they were identified as Gulam Mohd. Pare, @ Yunus Raia and @ Imtiaz, Dy Chief of HM and General Manager Communication Orgn. of HM and General Manager Communication Orgn. of HM outfit and Mohd Yasin Malik.

The following arms and ammunition were recovered :—

(a) China made Pistol—1 No,
(b) China made Pistol Mag.—1 No.
(c) Live rounds (9 mm)—20 Nos,
(d) AK-47 rifle—5 No.
(e) AK-56 Grenade rifle—1 Nos.
(f) AK-47 rifle Mag.—5 Nos.
(g) AK-56 Grenade Rifle Mag—1 No.
(h) Live rounds (AK-47)—272
(i) Rifle Grenade—13 Nos.
(j) Plastic Grenade—1 No.
(k) Wireless set—3 Nos.
(l) RPG Rocket—3 Nos.
(m) Rocket Boosters—3 Nos.

In this encounter Shri D. S. Sagi, 2 I/C, Shri Ram Sevak, Dy. Comdt., and Shri Munna Lal, L/NK displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th January, 1998.

BARUN MITRA
Dy. Secy. to the President.

No. 39-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Ram Avtar,
2 IC,
52 Bn., BSF.

Shri B. B. Sonar,
Head Constable,
52 Bn., BSF.

Shri Thawariya More,
Lance Naik,
52 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 11-1-1998 at about 1200 hrs. an information was received about the presence of some insurgents in Sonapara Mohalla Thiru Village in Ganderbal Area. Shri Ram Avtar 2 I/C devided the troops party in three groups. Shri Avtar ordered that a group should start search from one side of the village. On search being commenced extremists opened fire on the cordon. Shri Avtar closed his cordn around five houses with two houses in which militants were holded up in the centre. While dashing from one house to the other the extremists threw a grenade which exploded between 2 houses and splinters caused a minor injury to Shri Avtar. Despite his injury, Shri Avtar managed to crawl into the house and then climb up to the top floor overlooking the house in which the extremists had holed up. Shri Avtar positioned Shri Thawaria, L/NK to give covering fire into the window of the house which was facing him and then crawled upto a window and managed to lob some grenades into the target house. The grenades exploded and splinters hit the target. When firing stopped Shri Avtar alongwith his party stormed the house and found that one militant had been killed by the splinters of the grenades. When the troops advanced towards the second house and cordoned the around the remaining house from which one insurgent was still firing. Shri Sonar, Head Constable who was also trying to throw grenades into the target house was hit. After few minutes and about 6 grenades later firing stopped. Shri Avtar stormed the second house where he found one more militant was lying dead. The killed militants were later identified as Hafiz Mohd, and Ataullah of neighbouring country.

The following arms and ammunition were recovered from the place of encounter :—

AK 47 Rifle—1
AK 56 Rifle—1
AK Series Mag—8
AK Amn—100 Rds.
Pistol Chinese—1
Pistol Mag—1
Pistol Amn.—32 Rds.
Grenade—3
Radio Set I—1

In this encounter Shri Ram Avtar, 2 IC, Shri B. B. Sonar, Head Constable and Shri Thawariya More, L/NK displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11th January, 1998.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 40-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri R. Nageshwara Rao,
Constable.
29 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 9th May, 1998 Shri R. Nageshwara Rao, Constable availed a BSF convoy upto Nalkata. As no force vehicle was available for Panisagar, Shri Rao boarded a civil truck from Nalkata. Enroute at Pacharthal three tribal youths also boarded in the truck. After travelling a few kms., one of the three tribal youths took out a pistol and aimed at the neck of the truck driver and demanded money. The other miscreants also threatened the driver to comply with demand. They also threatened passengers including Shri Rao to hand over money and valuable or face dire consequence. Without caring for his personal safety, Shri Rao snatched the

loaded pistol from one of the miscreants. He pounched on the armed miscreants, grappled with them for sometime and over powered two of them alone and pressed the two miscreants hard under both his arms and the miscreants started vomiting blood. In the meantime, the third miscreant not being able to withstand the aggessiveness of Shri Rao fled away leaving behind his country made pistol, the truck was brought to Police Station Panisagar alongwith miscreants and passengers and handed over. On search 3 country made pistols, 1 hammer, 5 gms explosive, 300 gms lead and 139 nos nail 1" size were recovered.

In this encounter Shri R. N. Rao, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th May, 1998.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 41-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri A. P. Singh,
Constable,
66 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 7th Feb., 1996 at about 0700 hrs. a party of 14 personnel including Shri A. P. Singh of 66 Bn. left for respective Bn. HQrs. from 39 Bn. location Halflong (Assam) in three vehicles. The convoy enroute was ambushed at about 0930 hrs at Maibang which is a hilly and thickly forested area of Assam. The U. Gs fired a fusillade of bullets from three sides of the road from well entrenched position. Shri A. P. Singh reacted immediately by jumping out of the vehicle in which he was travelling, took position on a road side slope and effectively retaliated with his personal weapon. He countered the ambush by retaliatory firing towards the militants displaying unusual valour without caring for his personal safety and security. The firing continued for more than 20 minutes during which time, the ammunition issued to him was also exhausted, but inspite of heavy firing by the militants, Shri Singh crawled about a five yards and took personal Rifle of a colleague, Ct. Jogeswar Mallick who was killed in the ambush and continued to fire towards the militants. As a result the militants were forced to withdraw. Shri A. P. Singh followed the fleeing U. Gs and managed to injure two of them but all of them managed to escape.

Delay in submission of the case is stated to have occured due to time taken in obtaining the required documents, concurrence of the State Govt., and processing and has therefore sought to be cordoned.

In this encounter Shri A. P. Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th February, 1996.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 42-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Jammu and Kashmir Police :—

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri J. P. Singh,
Supdt. of Police,
Anantnag.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 8-2-1996, Shri J. P. Singh, SP, Anantnag alongwith his men cordoned a militant hide-out in village check Achabal, Anantnag. The SOG party assisted by a contingent of BSF came under heavy fire of militants. The officer deployed his men on strategic points and strengthened the cordon. When the militants were asked to surrender they opened fire with automatic weapons. Shri Singh ordered his men to engage the militants from front side of the hide-out while he himself with a man entered the house from rear side. Shri Singh attacked the militant who tried to fire at Shri Singh with a grenade, but the grenade did not explode. During the fierce gun battle, Shri Singh killed the militant. Both the militants were later identified as the dreaded terrorists affiliated with pro-pak militants organisation Harkat-ul-Ansar. One GP rifle, 1 AK-56 rifle, 1 Wirless set and a huge quantity of arms, ammunition and explosives were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri J. P. Singh, Supdt. of Police Anantnag dispalyed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th February, 1996.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 43-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Assam Police :—

NAME & RANK OF THE OFFICERS

Shri Putul Saikia,
Assistant Sub-Inspector (Oprator),
Ap Radio Organisation,
Ulubari.

Shri Jatin Pator,
Havildar,
1st Assam Police Bn.,
Nazira.

Shri A. R. Borbhuyan, (Posthumous)
Constable,
1st Assam Police Bn.,
Nazira.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 2-2-1996, while Constable N. H. Mazumdar was on sentry duty, at about 1.05 A.M. he heard sound of movement in front of the main gate. He immediately took position and challenged them. Suddenly, 6-7 rounds were fired on him. He reacted and fired 2 rounds and faced heavy firing from automatic weapons. As a result of firing, one of the intruders was hit and later died. He could also hold back the attackof the extremists. On hearing the sound of firing Havildar Jatin Pator came out of the barrack with LMG, he moved upto the front perimeter and fitted the LMG and fired on the extremists. He also supervised the position of jawans and guided them during the encounter. Shri Pator fired on the extremists and filled one of the extremists and thus prevented the advance of extremists. In the meantime, Constable Atique Rahman Borbhuyan reacted and fired from his rifle but got bullet injuries on the vital parts of his body, he fell down but fought till his death.

On the other hand ASI (Operator) Putul Saikia and Constable (Operator) Jibon Phukan jumped into the underground bunker where a W.T. Set was kept braving the hail of bullets from automatic weapons on their small barrak. They contacted SP, Sibsagar and Battalion HQrs within minutes and informed about the attack and requested for reinforcement. As a result of this, the reinforcement reached the spot. S/Shri Saikia and Phukan also moved inside the BOP through trenches and supplied ammunition to jawans.

In this encounter Shri Putul Saikia, ASI, Shri Jatin Pator, Havildar and late Shri A. R. Borbhuyan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd February, 1996.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

No. 44-Pres/99.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Shridhar Mandal,
Dy. Supdt. of Police,
Patna Town.

Shri Tarani Prasad Yadav,
Inspector,
Gandhi Maidan PS.,
Patna.

Smt. Pratibha Sinha,
Sub-Inspector,
Gandhi Maidan PS.,
Patna.

Shri Dudheshwar Nath Pandey,
Sub-Inspector,
Gandhi Maidan PS.,
Patna.

Shri Sachchidanand Singh,
Sub-Inspector,
Gandhi Maidan PS.,
Patna.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 28-10-1996 at about 8.30 P.M., Shri Shridhar Mandal, Dy. SP received information about commission of a dacoity in a house situated at Mithila Motors Lane. Shri Mandal alongwith Shri Tarani Prasad Yadav and Smt. Pratibha Sinha reached the spot. In the meantime SI D. N. Pandey and SI Sachida Nand Singh also reached there. Bothe the Sub-Inspectors were directed to take position from the side of SP Varma Road. Shri Mandal, Shri Yadav and Smt. Sinha moved cautiously towards the Dina Tower. As they reached near the Tower, 3-4 dacoits standing on the stairs of Dina Tower, attacked the police party with bombs, all the three police personnel were hurt by splinters. Shri Mandal and Shri Yadav challenged the dacoits but they went blasting the bombs and also fired on the police party. Shri Mandal, Shri Yadav and Smt. Sinha opened fire on the dacoits. As a result of this, the dacoits lost their narves and started coming down from the stairs. In the face of police firing they jumped over the western side wall and fled away. While fleeing they kept on firing on the police personnel. S/ Shri Pandey and Singh fired on the fleeing dacoits from their service revolvers. As a result of police firing two dacoits were hit by bullets and fell down due to serious injuries. However, the remaining dacoits vanished away by taking advantage of zig zag narrow lanes. The dead dacoits were later identified as (a) Raju Nepali and (b) Jhunn Kumar alias Jhunua. During search two countrymade pistols alongwith live/empty cartridges, one Gold Necklace, two Gold earrings and one Gold ring (which were looted from the house) were recovered from the dead dacoits.

In this encounter Shri S. Mandal, Dy SP. Shri T. P. Yadav, Inspector, Smt. P. Sinha, Sub-Inspector, Shri D. N. Pandey and Shri Sachchidanand Singh, SI. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th October, 1996.

BARUN MITRA, Dy. Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd February 1999

No. 4/1/MPLADC/99.—The Committee on Members of Parliament Local Area Development Scheme (Lok Sabha) has been constituted with effect from 22nd February, 1999. The following Members have been nominated to serve on the Committee :

1. Shri S. Mallikarjunaiah — Chairman
2. Shri Prashanna Acharya
3. Shri Ajmeera Chandulal
4. Shri Tejvir Singh Chaudhary
5. Shri R. L. Jalappa
6. Shri Kamal Nath
7. Smt. Sumitra Mahajan
8. Shri Hannan Mollah
9. Shri R. Muthiah
10. Dr. Ulhas Vasudeo Patil
11. Shri Hari Kewal Prasad
12. Shri C. P. Radhakrishnan
13. Shri V. V. Raghavan
14. Shri Daroga Prasad Saroj
15. Dr. Raghuvansh Prasad Singh
16. Shri Kharabela Swain
17. Dr. (Smt.) Prabha Thakur
18. Shri Prabhash Chandra Tiwari
19. Shri Mansukhbhai Vasava
20. Shri Mukul Wasnik

K. L. NARANG
Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 3rd February 1999

No. F. 8-2/97-Sk-II.—With reference to this Ministry's Resolution No. F. 8-2/97-Sk.II dated 26th June, 1998 regarding constitution of Central Sanskrit Board, it is hereby notified that the Government of India have decided to nominate Dr. Karan Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) as special invitee on the Central Sanskrit Board.

ORDER

Ordered that a copy of this Notification be communicated to all State Governments and Union-Territory Administrations, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

SUMIT BOSE
Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi-110 001, the 8th February 1999

RESOLUTION

No. 10-3/96-IMY/RMK.—In pursuance of the provisions of the Rule 9(1) of the Rules and Regulation of Rashtriya Mahila Kosh and in partial modification of the Resolution number 10-3/96-IMY/RMK dated 24-2-98, the Government of India nominates the following persons as Members of the Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh from 18-2-99 for a period of one year.

1. Secretary Social Welfare, Government of Haryana.

Vice

Secretary, Social Welfare, Govt. of Himachal Pradesh.

2. Secretary, Social Welfare & Nutritions, Meal Programme, Government of Tamilnadu.

Vice

Secretary, Women & Child Development Government of Rajasthan.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to Cabinet Secretary, Government of India; Principal Secretary, Prime Minister's Office; Secretary, All States/UTs; Secretary, Ministry of Finance Department of Expenditure, New Delhi; Additional Secretary, Banking Division, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep; Bldg., Parliament Street, New Delhi-1; All Members of the Governing Board of the Kosh; PS to HRM; JS (WD); FA (WCD); JS (Admn.); IF Section; ED, RMK.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SAROJINI G. THAKHUR
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1999.